

लोन एग्रीमेंट - व्हीकल/इक्विपमेंट फाइनेंस

यह एग्रीमेंट एग्रीमेंट के शेड्यूल में बताई गई जगह और तारीख पर किया गया है। उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता जिसे विशेष रूप से इस अनुसूची में वर्णित और निर्धारित किया गया है (इसके बाद "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और गारंटर/गारंटर, जिन्हें विशेष रूप से इस अनुसूची में वर्णित और निर्धारित किया गया है (इसके बाद "गारंटर" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) जो अभिव्यक्तियों, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के विपरीत न हों, का अर्थ उसके/उसके/उनके संबंधित उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, नामांकित व्यक्तियों, वकीलों और कानूनी प्रतिनिधियों (जहां उधारकर्ता/गारंटर एक व्यक्ति/एकमात्र स्वामी है), उत्तराधिकारी-इन-हित, जैसा भी मामला हो, (जहां उधारकर्ता/गारंटर कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट के अर्थ में एक कंपनी है) फर्म के समय-समय पर भागीदार, उनके उत्तरजीवी(ओं) और भागीदारों के उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, नामांकित व्यक्ति और उत्तराधिकारी (जहां उधारकर्ता/गारंटर साझेदारी फर्म है) माना जाएगा पार्ट

और

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, कंपनीज़ एक्ट, 1956 के तहत शामिल और रजिस्टर्ड एक कंपनी है और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस 'चोला क्रैस्ट' , C 54&55, सुपर B-4, थिरु वि का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुडुंडी, चेन्नई - 600 032 में है, (इसके बाद इसे "कंपनी" कहा जाएगा), जिसका मतलब तब तक होगा जब तक कि यह संदर्भ या उसके मतलब के खिलाफ न हो और इसमें इसके उत्तराधिकारी और दूसरे पार्ट के असाइनी शामिल हैं।

जबकि

A) कंपनी दूसरी बातों के साथ-साथ मोटर गाड़ियों, मशीनरी और दूसरे एसेट्स की खरीद/रीफाइनेंस के लिए फाइनेंशियल मदद देने के बिजनेस में लगी हुई है;

B) बॉरोअर ने कंपनी से शेड्यूल में पूरी तरह से बताए गए गाड़ी, मशीनरी, इक्विपमेंट या एसेट्स की सिक्योरिटी के बदले गाड़ी/मशीनरी/इक्विपमेंट/एसेट की खरीद/रीफाइनेंस के लिए फाइनेंशियल मदद मांगी है; C) लोन लेने के बदले में, बॉरोअर ने कंपनी द्वारा तय किए गए और नीचे पूरी तरह से बताए गए नियमों और शर्तों को मानने के लिए सहमति दी है, और खास तौर पर, बताए गए शेड्यूल/कोलैटरल एसेट को बेचने, अलग रखने, हाइपोथेकेशन, गिरवी रखने या किसी भी दूसरे तरीके से तब तक नहीं बेचने के लिए, जब तक कंपनी द्वारा लिखित में मंजूरी न दी गई हो, जब तक कि इस एग्रीमेंट के तहत पूरी बकाया रकम कंपनी को नहीं दे दी जाती;

D) गारंटर ने कंपनी से बॉरोअर को यह फाइनेंशियल सुविधा देने की रिक्वेस्ट की है और इसके बदले में, गारंटर ने कंपनी को बॉरोअर द्वारा यहां दिए गए कॉन्ट्रैक्ट के नियमों और शर्तों को ठीक से पूरा करने की गारंटी देने और इस एग्रीमेंट में बताई गई सभी देनदारियों को चुकाने के लिए सहमति दी है;

E) कंपनी, बॉरोअर और गारंटर द्वारा ऊपर दिए गए बयानों पर भरोसा करते हुए, बॉरोअर को मांगा गया लोन, नीचे बताए गए नियमों और शर्तों पर देने के लिए सहमत हो गई है; अब यह एग्रीमेंट इस तरह है:

डेफिनिशन और इंटरप्रिटेशन:

इस एग्रीमेंट में, जब तक कि सब्जेक्ट या कॉन्टेक्ट से कोई भी बात अलग न हो, नीचे दिए गए एक्सप्रेसन के ये मतलब होंगे। जिन टर्म्स और एक्सप्रेसन को यहां डिफाइन नहीं किया गया है, उनका मतलब और इंटरप्रिटेशन, जहां जनरल क्लॉज़ एक्ट, 1897 के हिसाब से दिया गया है, वहीं होगा।

a) “एग्रीमेंट” शब्द का मतलब है और इसमें यह लोन एग्रीमेंट, शेड्यूल/शेड्यूल, एनेक्सर, वेलकम लेटर, कोई भी एडेंडा, सप्लीमेंटल एग्रीमेंट या अटैचमेंट शामिल हैं जो इस एग्रीमेंट में या इसके बाद जोड़े गए हैं। b) “एसेट” शब्द का मतलब है और इसमें मोटर गाड़ी या कोई दूसरी मशीनरी या इक्विपमेंट या कोई दूसरी एसेट, चाहे नई हो या पुरानी, जो इस एग्रीमेंट के शेड्यूल में बताई गई है, जिसकी खरीद/रीफाइनेंस के लिए लोन दिया जा रहा है और जिसे बॉरोअर कंपनी के पक्ष में सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखा गया है या ऑफर किया गया है या ऑफर करवाया गया है। “एसेट” में बॉरोअर द्वारा किए गए सभी एक्सक्रिशन और एडिशन शामिल होंगे, जिसमें बॉडी बिल्डिंग, इंजन अपग्रेडेशन और इसी तरह के काम शामिल हैं।

c) “ड्यू डेट” का मतलब है, वह तारीख जिस दिन लोन के प्रिंसिपल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और/या इस एग्रीमेंट के तहत पे करने लायक कोई दूसरी रकम और/या लोन अमाउंट का बैलेंस, जैसा भी मामला हो, इस एग्रीमेंट के किसी भी क्लॉज़ के तहत पेमेंट के लिए ड्यू है। d) “इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज़” या “ECS” और “नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस” या “NACH” का मतलब है एक डेबिट क्लियरिंग सर्विस जिसमें E-NACH या रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा नोटिफाई किया गया कोई दूसरा मॉडेट शामिल है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बॉरोअर ने इस लोन एग्रीमेंट के तहत इंस्टॉलमेंट के पेमेंट को आसान बनाने के लिए लिखित में मंजूरी दी है।

e) “इंस्टॉलमेंट” शब्द का मतलब है वेलकम लेटर में बताई गई हर ड्यू डेट पर देने वाली रकम, जो लोन की अवधि में ब्याज के साथ लोन को चुकाने के लिए ज़रूरी है।

f) “लोन” शब्द का मतलब है इस एग्रीमेंट और शेड्यूल में दी गई लोन की रकम। f) “लोन” शब्द का मतलब है इस एग्रीमेंट और शेड्यूल में दी गई लोन की रकम।

g) “पीनल चार्ज” का मतलब है कि कंपनी शेड्यूल में बताई गई दर पर किश्तों या बॉरोअर द्वारा कंपनी को देय किसी भी दूसरी रकम के पेमेंट में ड्यू डेट्स से लेकर असल पेमेंट की तारीख तक किसी भी देरी पर चार्ज लगाती है।

h) “प्रीक्लोज़र” शब्द का मतलब है कंपनी द्वारा उस संबंध में तय की गई शर्तों और ऐसे रीपेमेंट के समय लागू नियमों और शर्तों के अनुसार समय से पहले रीपेमेंट। i) “पोस्ट डेटेड “चेक” या “PDCs” का मतलब है कि बॉरोअर कंपनी के पक्ष में किस्त की रकम के लिए ऐसे चेक बनाता है जिनकी तारीखें हर किस्त की तारीख से मेल खाती हों।

j) “रेट ऑफ़ इंटरेस्ट” का मतलब है इस एग्रीमेंट के आर्टिकल 2 में बताई गई इंटरेस्ट रेट।

k) “रीपेमेंट” का मतलब है लोन के प्रिंसिपल अमाउंट का उस पर इंटरेस्ट के साथ किस्तों में रीपेमेंट, जिसमें पेनल चार्ज या कोई और, कमिटमेंट और/या कोई दूसरा चार्ज, प्रीमियम, फीस या इस एग्रीमेंट के तहत कंपनी को देने लायक दूसरा ड्यू शामिल है और खास तौर पर, इस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 में दिया गया अमॉर्टाईजेशन।

l) “शेड्यूल” का मतलब है इस एग्रीमेंट का शेड्यूल।

m) “वेलकम लेटर” का मतलब है इस एग्रीमेंट के पूरा होने के बाद कंपनी द्वारा बॉरोअर को जारी किया गया एक लेटर, जिसमें ड्यू डेट्स, हर ड्यू डेट पर देने लायक किस्तें, किस्तें कितनी बार देनी हैं और हर ड्यू डेट के तहत प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का ब्रेकअप बताया गया हो। इंस्टॉलमेंट।

1. लोन की शर्तें

a) कंपनी एसेट खरीदने/रीफाइनेंस करने के मकसद से, शेड्यूल (लोन अमाउंट) में बताई गई रकम, यहां बताई गई शर्तों पर, बॉरोअर को लोन के तौर पर देने के लिए सहमत है।

b) इस एग्रीमेंट के तहत दिया गया लोन, शेड्यूल में लोन की अवधि के तहत बताई गई अवधि के लिए होगा, जो उसमें बताई गई तारीख (पहली इंस्टॉलमेंट की तारीख) से शुरू होगा, जब तक कि यह एग्रीमेंट यहां बताए गए तरीके से पहले खत्म न हो जाए और बॉरोअर और गारंटर मिलकर और अलग-अलग इस एग्रीमेंट में बताई गई शर्तों के अनुसार इसे चुकाएंगे।

2. ब्याज:

a) लोन की रकम पर ब्याज की दर इस शेड्यूल में बताई गई दर के अनुसार होगी और बॉरोअर को लोन मिलने की तारीख से इसे चुकाना होगा।

b) शेड्यूल में बताई गई ब्याज की दर लोन सुविधा की अवधि के दौरान फिक्स्ड रहेगी। हालांकि, कंपनी अपनी समझ से, इसे आगे से बदलने का हकदार होगी। समय-समय पर, एग्रीमेंट के दौरान लोन के लिए लागू इंटरेस्ट रेट को ऊपर या नीचे किया जा सकता है। ऐसा बदलाव सैंक्शन लेटर की शर्तों के तहत होगा और बॉरोअर को बताया जाएगा और बॉरोअर के लिए बाध्यकारी होगा।

c) इंटरेस्ट हर दिन जमा होगा और महीने के आधार पर या असल दिनों की संख्या के आधार पर, जैसा भी मामला हो, कैलकुलेट किया जाएगा।

d) बॉरोअर इस एग्रीमेंट के संबंध में या एसेट के संबंध में सभी ड्यूटी, सेस, लाइसेंस फीस, इंटरेस्ट पर टैक्स, दूसरे टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम और दूसरे चार्ज/आउटगोइंग का पेमेंट करेगा, चाहे वह रेट्रोस्पेक्टिव हो या प्रोस्पेक्टिव और अगर कंपनी ऐसा कोई पेमेंट करती है, तो बॉरोअर कंपनी से इस संबंध में सही जानकारी मिलने की तारीख से 3 दिनों के अंदर कंपनी को रीडम्बर्स करेगा। अगर बॉरोअर बताई गई रकम रीडम्बर्स करने में फेल रहता है, तो कंपनी द्वारा पेमेंट की तारीख से लेकर बॉरोअर द्वारा बताई गई रकम के असल रीडम्बर्समेंट की तारीख तक उस पर पीनल चार्ज लगेंगे। कंपनी।

e) इस एग्रीमेंट के तहत उधार लेना एक कमर्शियल ट्रांज़ेक्शन है और बॉरोअर/गारंटर ब्याज लेने से जुड़े सूद या दूसरे कानूनों के तहत किसी भी बचाव को छोड़ देता है।

f) ब्याज का कैलकुलेशन - इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और ब्याज शामिल हैं, जो शेड्यूल में बताए गए ब्याज दर के आधार पर कैलकुलेट किए जाते हैं और इसे घटते हुए बैलेंस पर कैलकुलेट किए गए सबसे करीबी रुपये में राउंड ऑफ किया जाता है।

3. सोर्सिंग फीस:

बॉरोअर ने बिना किसी दबाव या गलत असर के कंपनी को सोर्सिंग फीस देने के लिए अपनी सहमति दी है, जैसा कि लोन की मंजूरी के लिए कंपनी को एप्लीकेशन जमा करते समय बॉरोअर द्वारा तय किया गया था। वह फीस, जो एग्रीमेंट के शेड्यूल में ज़्यादा खास तौर पर बताई गई है, किसी भी हालत में बॉरोअर को वापस नहीं की जाएगी, भले ही लोन मंजूर होने के बाद कंपनी द्वारा लोन न लिया गया हो या दिया न गया हो।

4. डिस्बर्समेंट:

a) बॉरोअर कंपनी द्वारा लोन के डिस्बर्समेंट का तरीका बताएगा जैसा वह चाहता है। हालांकि, कंपनी के पास यह तय करने का पूरा अधिकार होगा कि लोन किस तरह से दिया जाएगा। संवितरण का तरीका, जिसे इस समझौते के तहत उधारकर्ता को संवितरण माना जाएगा। नए एसेट्स खरीदने के मामले में, लोन की रकम, कंपनी के ऑप्शन पर, सीधे डीलर/मैनुफैक्चरर को दी जा सकती है और ऐसा डिस्बर्समेंट बॉरोअर को डिस्बर्समेंट माना जाएगा। इस्तेमाल किए गए एसेट्स खरीदने के मामले में, कंपनी डिस्बर्समेंट का तरीका तय करेगी; यानी, या तो एसेट्स के मालिक/सेलर को या डीलर को या बॉरोअर को और ऐसा डिस्बर्समेंट इस एग्रीमेंट के तहत बॉरोअर को डिस्बर्समेंट माना जाएगा। रीफाइनेंस के मामले में, कंपनी बॉरोअर के पक्ष में कंपनी द्वारा तय किए गए तरीके से डिस्बर्स करेगी। बॉरोअर की ओर से किसी दूसरी पार्टी को किए गए ऐसे सभी डिस्बर्समेंट को बॉरोअर को खुद किया गया पेमेंट माना जाएगा, जिसे बॉरोअर स्वीकार करता है।

b) कंपनी द्वारा लोन देने से पहले, बॉरोअर को कंपनी को एसेट खरीदने के लिए मार्जिन मनी में अपने हिस्से के पेमेंट के सबूत वाले डॉक्यूमेंट्स देने होंगे।

c) इस एग्रीमेंट के हिसाब से कंपनी द्वारा बॉरोअर को किए जाने वाले सभी पेमेंट चेक से किए जाएंगे, जिस पर सही तरह से क्रॉस किया हुआ हो, "A/c. Payee only" लिखा हो, या डिमांड ड्राफ्ट से या इंडियन बैंकिंग सिस्टम के तहत मंजूर फंड ट्रांसफर के किसी दूसरे मंजूर तरीके से, कंपनी की मर्जी पर किए जाएंगे। ऐसे सभी चेक या ट्रांसफर के तरीकों के लिए लगने वाले कलेक्शन चार्ज या ऐसे दूसरे चार्ज, अगर कोई हों, बॉरोअर को देने होंगे, भले ही बॉरोअर या उसके बैंक द्वारा चेक के ट्रांजिट/कलेक्शन/रियलाइज़ेशन में कितना भी समय लगे। d) बॉरोअर इस बात से सहमत है कि

डिस्बर्समेंट की तारीख चेक/पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स सौंपने की तारीख होगी या वह तारीख होगी जिस दिन कंपनी बॉरोअर के बैंक अकाउंट में सीधे NEFT/ RTGS/ किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के तरीके से क्रेडिट करेगी, जैसा भी मामला हो।

e) बॉरोअर कंपनी की सहमति और ज़रूरी कैंसलेशन चार्ज के पेमेंट के बिना लोन कैंसल करने या डिस्बर्समेंट लेने से मना करने का हकदार नहीं होगा।

f) अगर बॉरोअर किसी भी कारण से, लोन डिस्बर्समेंट के बाद, लेकिन पहली इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट से पहले, लोन कैंसल करने की रिक्वेस्ट करता है, तो कंपनी अपने हिसाब से इस पर विचार कर सकती है। ऐसे में, अगर कंपनी कैंसलेशन के लिए सहमत हो जाती है, तो बॉरोअर को डिस्बर्समेंट की तारीख से लेकर बॉरोअर द्वारा रीपेमेंट की तारीख तक डिस्बर्स्ड लोन अमाउंट पर 18% सालाना या बॉरोअर को बताई गई किसी दूसरी रेट के साथ तुरंत लोन चुकाना होगा।

5. पहले की शर्तें:

लोन की रकम कंपनी बॉरोअर को नीचे दी गई पहले की शर्तों ("पहले की शर्तें") को पूरा करने पर देगी। बॉरोअर/गारंटर नीचे लिखे शेड्यूल में बताई गई तारीख (एग्जीमेंट की तारीख) तक, या कंपनी द्वारा बढ़ाई गई तारीख के अंदर पहले की शर्तों का पालन करेगा। उस तारीख तक पहले की शर्तों को पूरा न करने पर कंपनी लोन देने से मना कर सकती है और अगर किसी वजह से या खास हालात में, जो पहले ही दिया जा चुका है, उसे पूरी तरह वापस ले लिया जाएगा। बॉरोअर/गारंटर को ये शर्तें पूरी करनी होंगी:

a) इस एग्जीमेंट में शामिल बॉरोअर/गारंटर के बयान और वारंटी (i) आज की तारीख तक, और (ii) तय किए गए लोन (जैसे कि उस तारीख को किया गया हो) / लोन लेने की तारीख तक सही होंगी; b) अगर कंपनी को ऐसा चाहिए, तो कंपनी को मंज़ूर गारंटी/गारंटियां कंपनी के पक्ष में एक्ज़िक्यूट की गई होंगी;

c) बॉरोअर ने कंपनी को पोस्ट डेटेड चेक/ECS मंडेट/NACH/NEFT/ऐसे दूसरे लागू ऑथराइज़ेशन या इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से एक्ज़िक्यूट करके डिलीवर किए होंगे;

d) बॉरोअर और/या गारंटर/गारंटरो ने कंपनी के पक्ष में ऐसी सिक्योरिटी बनाई होगी, जो कंपनी को मंज़ूर हो ("सिक्योरिटी")। बॉरोअर/गारंटर के पास ऐसी सिक्योरिटी का एक साफ़ और मार्केटेबल टाइटल होगा जो सभी तरह के बोझ, लियन और टाइटल में कमियों से मुक्त होगा। बशर्ते कि जहां बॉरोअर/गारंटर को लागू कानून के तहत ऐसी सिक्योरिटी बनाने के संबंध में कोई रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग करने की ज़रूरत हो, तो बॉरोअर/गारंटर इस संबंध में सभी रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग करेगा। यह भी कहा गया है कि जहां बॉरोअर/गारंटर को ऐसी कोई सिक्योरिटी बनाने के लिए किसी सहमति की ज़रूरत हो, तो बॉरोअर/गारंटर को ऐसी सिक्योरिटी बनाने से पहले सभी सहमति लेनी होगी।

e) बॉरोअर/गारंटर और/या कंपनी को जिस दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत हो, उसने कंपनी को जिस दूसरे डॉक्यूमेंट या राइटिंग की ज़रूरत हो, उसे पूरा किया होगा और कंपनी को जिस दूसरे काम की ज़रूरत हो, उसे पूरा किया होगा और उस तरह के दूसरे डॉक्यूमेंट तैयार किए होंगे।

f) डिफॉल्ट की घटना का न होना: आर्टिकल 10 में बताई गई डिफॉल्ट की कोई भी घटना नहीं हुई होगी और न ही जारी रहेगी। g) एडवांस में किश्तें: बॉरोअर इस एग्रीमेंट को पूरा करते समय या कंपनी द्वारा बताए गए किसी भी समय, शेड्यूल/शेड्यूल में बताई गई किश्तों की संख्या एडवांस में कंपनी को देने के लिए सहमत है। इस एग्रीमेंट के दूसरे नियमों के तहत, एडवांस किश्तों को शेड्यूल में बताए गए तरीके से किश्तों में एडजस्ट किया जाएगा। कंपनी एडवांस किश्तों पर कोई ब्याज देने के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी।

6. रीपेमेंट:

a) बॉरोअर कंपनी को इस एग्रीमेंट के तहत बॉरोअर द्वारा कंपनी को देय सभी रकम का भुगतान करेगा, जब भी वह देय होगी, बिना किसी देरी या डिफॉल्ट के। बॉरोअर यह मानता है कि रीपेमेंट शेड्यूल का सख्ती से पालन करना लोन देने के लिए एक ज़रूरी शर्त है और समय इस कॉन्ट्रैक्ट का ज़रूरी हिस्सा है।

b) रीपेमेंट बॉरोअर द्वारा शेड्यूल में बताई गई शर्तों के अनुसार किश्तों में किया जाएगा। ऊपर बताया गया रीपेमेंट शेड्यूल कंपनी के इस अधिकार पर बिना किसी नुकसान के है कि वह इस एग्रीमेंट के तहत मांग पर पूरा लोन, ब्याज और दूसरे बकाया के साथ चुकाए। इसके अलावा, इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन/फिक्सिंग कंपनी के इंस्टॉलमेंट की रकम को फिर से कैलकुलेट करने के अधिकार पर बिना किसी नुकसान के होगा, जिसमें यह भी शामिल है कि अगर किसी भी स्टेज पर यह पता चलता है कि इंस्टॉलमेंट गलत कैलकुलेट किए गए हैं। हालांकि, शेड्यूल में दी गई इंस्टॉलमेंट कंपनी के उस अधिकार पर असर नहीं डालेंगी जिसके तहत वह किसी भी समय एग्रीमेंट खत्म कर सकती है, अगर वह ठीक समझे और पहले से बकाया और बाकी बची हुई सभी रकम, अगर कोई हो, के पेमेंट की मांग कर सकती है, साथ ही भविष्य की सभी इंस्टॉलमेंट और कोई भी दूसरी रकम जो बकाया हो सकती है, भविष्य की इंस्टॉलमेंट पर किसी भी डिस्काउंट के अधीन, जिसकी वह अनुमति दे सकती है।

c) बॉरोअर द्वारा कंपनी को दिए जाने वाले सभी अमाउंट, ड्यू डेट्स पर या उससे पहले बिना किसी कटौती के चुका दिए जाएंगे। ऐसा न करने पर, बॉरोअर के लोन अकाउंट को ड्यू डेट के आखिर में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की लागू गाइडलाइंस के अनुसार स्पेशल मेंशन अकाउंट (SMA)/नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट (NPA) या ऐसी किसी दूसरी कैटेगरी में क्लासिफ़ाई कर दिया जाएगा। अभी, SMA और NPA कैटेगरी के क्लासिफ़िकेशन का आधार और उसके उदाहरण शेड्यूल में बताए गए हैं। अगर बॉरोअर का लोन अकाउंट एक बार NPA/SMA के रूप में क्लासिफ़ाई हो जाता है, तो उसे स्टैंडर्ड एसेट के रूप में तभी अपग्रेड किया जाएगा, जब बॉरोअर द्वारा ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया जाएगा। d) बॉरोअर शेड्यूल में बताई गई इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट करने के लिए ज़िम्मेदार होगा, भले ही डीलर/मैनुफैक्चरर ने बॉरोअर को एसेट डिलीवर किया हो या नहीं और डीलर/मैनुफैक्चरर के

साथ या उनके खिलाफ या एसेट की डिलीवरी के संबंध में या खुद एसेट के संबंध में बॉरोअर के किसी भी विवाद, आपत्ति, विरोध, शिकायत या शिकायत के बावजूद।

e) हालांकि, पेनल्टी चार्ज लगाने से बॉरोअर को लोन देने के लिए ज़रूरी शर्त के तौर पर रीपेमेंट शेड्यूल का सख्ती से पालन करने की ज़िम्मेदारी से राहत नहीं मिलेगी।

f) बॉरोअर यह कन्फर्म करता है कि उसने कंपनी के इंस्टॉलमेंट्स को कैलकुलेट करने के तरीके और साथ ही प्रिंसिपल और इंटरैस्ट में उनके बंटवारे को पढ़ लिया है, समझ लिया है और उससे सहमत है।

g) अगर ड्यू डेट छुट्टी के दिन पड़ती है, तो पेमेंट ठीक पहले वाले वर्किंग डे पर किया जाना है। h) किसी भी वजह से, ड्यू डेट से पहले बॉरोअर द्वारा किए गए किसी भी एडवांस पेमेंट को बॉरोअर के लोन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इंस्टॉलमेंट के बदले मिली ऐसी एडवांस रकम का एडजस्टमेंट सिर्फ ड्यू डेट पर ऐसे पेमेंट के लिए दिया जाएगा। ऐसे एडवांस पेमेंट पर ब्याज में कोई छूट नहीं मिलेगी।

7. इंस्टॉलमेंट के पेमेंट का तरीका:

a) नीचे दिए गए नियमों और शर्तों के तहत, लोन का रीपेमेंट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन (SI/इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ECS)/NACH या कंपनी द्वारा समय-समय पर मंजूर किए गए ऐसे किसी दूसरे तरीके से होगा, जो कंपनी को बॉरोअर के बैंक अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट, पोस्ट डेटेड चेक या कैश में पैसे भेजकर या डिमांड ड्राफ्ट से बकाया इंस्टॉलमेंट लेने के लिए आँथराइज़ करता है। एग्रीमेंट में कहीं और कही गई किसी भी बात के बावजूद, अगर नियम सिर्फ NACH/ECS/RECS/EFT सुविधाओं के ज़रिए लोन के रीपेमेंट की इजाज़त देते हैं, तो कंपनी ऐसी सुविधाओं के ज़रिए पेमेंट स्वीकार करेगी।

b) बॉरोअर, इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के लिए कंपनी को पोस्ट डेटेड चेक/ECS या ACH मैसेज देगा। ऐसे पोस्ट डेटेड चेक या मैसेज जमा करना, बॉरोअर की तरफ से कंपनी को ऐसे चेक/मैसेज पेश करने के लिए दिया गया बिना शर्त और इर्रिवोकेबल अधिकार माना जाएगा, कि वे उन्हें अपनी-अपनी तारीखों पर पेश करें और बॉरोअर यह गारंटी देता है कि चेक/मैसेज पेश करने पर मान लिए जाएंगे। किसी भी वजह से ACH या ECS मैसेज/PDC पेश न करने से, इस एग्रीमेंट के तहत किशतों या किसी भी दूसरी रकम का पेमेंट करने की बॉरोअर की लायबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

c) अगर आर्टिकल 7(a) के तहत बॉरोअर द्वारा दिया गया कोई एक या एक से ज़्यादा या सभी PDCs/ECS/NACH मैसेज

(i) कंपनी की कस्टडी में रहते हुए खो जाता है, खराब हो जाता है या गलत जगह पर चला जाता है या

(ii) साइनेटरी या उसके किसी या ज़्यादा साइनेटरी (अगर एक से ज़्यादा हैं) की मौत, दिवालिया होने, पागलपन, अर्थरिटी खत्म होने या किसी और वजह से या ड्रॉई बैंक के लिक्विडेशन या किसी मोरेटोरियम की वजह से नॉन-कैशेबल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में, बॉरोअर, कंपनी से ऐसे नुकसान, खराब होने

या गलत जगह पर रखे जाने (जैसा भी मामला हो) की जानकारी मिलने पर या बताए गए चेक या ऊपर बताए गए कारणों से नॉन-कैशेबल किसी भी चेक पर तुरंत, कंपनी को उतने चेक देगा जितने खोए हुए, खराब हुए, गलत जगह पर रखे गए या नॉन-कैशेबल हो गए चेक को बदलने के लिए काफी हों, या लोन चुकाने के लिए ऐसा कोई सही दूसरा इंतज़ाम करेगा जो कंपनी को मंज़ूर हो और वह उसे मंज़ूर करे।

d) बॉरोअर इस बात से सहमत है और समझता है कि कंपनी द्वारा किसी भी वजह से कोई भी चेक न दिखाने से इस एग्रीमेंट के तहत देने वाली रकम चुकाने की बॉरोअर की ज़िम्मेदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी किसी भी वजह से किसी भी चेक (बॉरोअर द्वारा कंपनी को पहले ही दिए जा चुके हैं या दिए जाने वाले हैं) को कैश कराने में देरी, चूक या लापरवाही, नुकसान या खोने के लिए किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं होगी।

e) अगर ज़रूरत हो, तो बॉरोअर, कंपनी की इजाज़त से, एक बैंक में जारी और निकाले गए चेक को दूसरे बैंक के चेक से स्वैप/इंटरचेंज कर सकता है, और इसके लिए कंपनी को हर रिप्लेसमेंट के लिए शेड्यूल में बताई गई रकम का स्वैप चार्ज देना होगा।

f) इस एग्रीमेंट और/या मौजूदा कानून के तहत कंपनी के किसी भी दूसरे अधिकार या उपाय पर कोई असर डाले बिना, बॉरोअर हर प्रेजेंटेशन पर हर PDC/ECS/NACH के डिसऑनर के लिए शेड्यूल में बताए गए रेट पर चेक डिसऑनर चार्ज देने के लिए ज़िम्मेदार होगा। चेक/ECS/NACH के डिसऑनर होने पर चार्ज लगाना, समय-समय पर बदले गए और लागू नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट, 1881 और दूसरे संबंधित कानूनों के तहत कंपनी के अधिकारों पर कोई असर डाले बिना है।

g) जहां आउटस्टेशन चेक के ज़रिए पैसे भेजे जाते हैं, वहां बॉरोअर शेड्यूल में बताए गए चेक कलेक्शन चार्ज देने के लिए ज़िम्मेदार होगा, जो समय-समय पर कंपनी की मर्जी से बदला जा सकता है।

h) शेड्यूल में बताए गए चार्ज कंपनी की मर्जी से बदले जा सकते हैं।

i) जब तक लोन या उसके कर्ज़ का कोई हिस्सा बकाया है, तब तक बॉरोअर को PDCs/ECS या NACH मेंडेट के संबंध में पेमेंट रोकने या कैंसिल करने का अधिकार नहीं होगा और ऐसा कोई भी काम नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट, 1881, जो समय-समय पर बदला गया है और लागू है, के तहत धोखाधड़ी करने और मुकदमे से बचने के इरादे से किया गया माना जाएगा और कंपनी बॉरोअर के खिलाफ उचित क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करने की हकदार होगी।

j) इस एग्रीमेंट के नियमों के अनुसार, लोन के बंद होने, जिसमें प्रीक्लोज़र भी शामिल है, के मामले में, बॉरोअर 60 दिनों के अंदर कंपनी के पास पड़े PDCs को कलेक्ट करेगा, ऐसा न करने पर कंपनी को बॉरोअर को बिना कोई जानकारी दिए उन्हें नष्ट करने का अधिकार होगा।

8. सिक्योरिटी

a) कंपनी ने बॉरोअर को लोन की सुविधा दी है या देने के लिए सहमत हुई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, यहां बताए गए नियमों और शर्तों के तहत, बॉरोअर कंपनी के पक्ष में, एक खास फर्स्ट चार्ज के तौर पर, एसेट को, सभी एक्सेसरीज़, उस एसेट में या उसमें किए गए या किए जाने वाले सभी एडिशन के साथ, चाहे अभी हों या भविष्य में, और एसेट पर किए गए या किए जाने वाले सुधारों, रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट के साथ, हाइपोथेकेट करता है। बॉरोअर इस बात से भी सहमत है और ऐसे और डॉक्यूमेंट्स बनाने और/या उन्हें ऐसे अधिकारियों के पास फाइल करने और/या रजिस्टर करने का भी वादा करता है, जो कानून के तहत या कंपनी द्वारा एसेट पर कंपनी के चार्ज को पूरा करने के लिए ज़रूरी हो सकते हैं।

b) एसेट का हाइपोथेकेशन इस एग्रीमेंट पर साइन करने के तुरंत बाद या बॉरोअर को एसेट की डिलीवरी के बाद, जो भी पहले हो, माना जाएगा। c) जहां एसेट एक गाड़ी है, बॉरोअर उसे कानून में तय समय के अंदर अपने नाम पर रजिस्टर करेगा और यह भी पक्का करेगा कि कंपनी के पास गाड़ी का हाइपोथेकेशन सही तरीके से एंडोर्स किया गया हो और सर्टिफिकेट ऑफ़ रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड किया गया हो।

d) जब तक कंपनी लिखकर एसेट को हाइपोथेकेशन से रिलीज़ नहीं कर देती, तब तक बॉरोअर कंपनी की पहले से मंजूरी के बिना एसेट या उसके किसी भी हिस्से पर किसी भी तरह से कोई दूसरा हाइपोथेकेशन, चार्ज, मॉर्गेज, प्लेज, लियन या एन्कम्ब्रेंस नहीं बेचेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा या नहीं बनाएगा। बॉरोअर एसेट या उसके किसी भी हिस्से का कब्ज़ा नहीं छोड़ेगा, किराए पर नहीं देगा, लीज़ पर नहीं देगा, लीव और लाइसेंस नहीं देगा या किसी और तरह से डील नहीं करेगा और ऐसा कोई काम, डीड, मामला या चीज़ नहीं होने देगा या होने नहीं देगा जिससे एसेट पर कंपनी के अधिकारों और हितों पर बुरा असर पड़ सकता है या किसी भी तरह से नुकसान हो सकता है। अगर एसेट एक नॉन-रजिस्ट्रेट गाड़ी/इक्विपमेंट है, तो बॉरोअर यह पक्का करेगा कि कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से उस नॉन-रजिस्ट्रेट गाड़ी/इक्विपमेंट के ओरिजिनल इनवाइस में ज़रूरी एंडोर्समेंट किया गया है। अगर बॉरोअर एक कंपनी है, तो वह कानूनी समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज़ के पास चार्ज रजिस्टर करेगा और तय समय के अंदर कंपनी के पक्ष में चार्ज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करेगा।

e) अगर इस एग्रीमेंट के एग्ज़िक्यूशन के समय एसेट बॉरोअर को डिलीवर नहीं किया गया है या जहाँ एसेट एक गाड़ी है, वहाँ रजिस्ट्रेशन/हाइपोथेकेशन नहीं हुआ है, तो गाड़ी के मामले में रजिस्ट्रेशन/हाइपोथेकेशन सहित एसेट की जानकारी, बॉरोअर द्वारा डिलीवरी और/या रजिस्ट्रेशन लेने के एक हफ़्ते के अंदर कंपनी को लिखकर दी जाएगी और ऐसी जानकारी को नीचे दिए गए शेड्यूल में वैसे ही शामिल किया जाएगा जैसे कि वे इस एग्रीमेंट के एग्ज़िक्यूशन के समय शामिल की गई थीं। बॉरोअर को इस वजह से एग्रीमेंट में बदलाव की कोई दलील देने या एसेट पर कंपनी के पक्ष में बनाए गए चार्ज की वैलिडिटी या लागू होने पर सवाल उठाने का हक नहीं होगा।

f) बॉरोअर ने लोन की रकम और उस पर ब्याज के लिए सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी के पक्ष में एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट भी साइन किया है।

g) एसेट का हाइपोथेकेशन तब तक लागू रहेगा जब तक बॉरोअर इस एग्रीमेंट या किसी दूसरे एग्रीमेंट के तहत कंपनी को देय सभी रकम का पेमेंट नहीं कर देता, जिसमें ब्याज, पीनल चार्ज, लागत, चार्ज और सभी रकम शामिल हैं जो इसकी शर्तों के अनुसार देय हो सकती हैं और जब तक कंपनी यहां बनाई गई सिक्योरिटी को खत्म करने का सर्टिफिकेट जारी नहीं कर देती।

h) मौत, दिवालियापन, क्रेडिटर्स के साथ अरेंजमेंट, फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी, वाइंडिंग अप (अपनी मर्जी से या किसी और तरह से) या किसी मर्जर या अमेलगमेशन, रीकंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट टेकओवर, डिऑल्यूशन या नेशनलाइजेशन (जैसा भी मामला हो) या बॉरोअर के स्टेटस में किसी और बदलाव से हाइपोथेकेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वह खराब नहीं होगा या खत्म नहीं होगा। i) गारंटर इस एग्रीमेंट के तहत बॉरोअर द्वारा दी जाने वाली सभी और हर रकम के सही और जल्दी रीपेमेंट की बिना किसी शर्त के गारंटी देता है और बॉरोअर द्वारा इस एग्रीमेंट में बताई गई सभी शर्तों और नियमों का सही तरीके से पालन करने की गारंटी देता है। गारंटर इस बात से सहमत है कि अगर कंपनी बॉरोअर को किसी भी रकम के पेमेंट के लिए समय देती है या कोई और छूट देती है या कंपनी गिरवी रखे गए एसेट के खिलाफ अपने अधिकारों को लागू करने में नाकाम रहती है, चूक करती है या असमर्थ होती है, तो उसे इस गारंटी से छूट नहीं मिलेगी। गारंटर इस बात से सहमत है कि कंपनी और उसके बीच, गारंटर बॉरोअर के साथ मिलकर मुख्य देनदार है और इसलिए वह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 के सेक्शन 133, 134, 139 और 141 या उसके किसी दूसरे नियम के तहत ज़मानतदारों को दिए गए किसी भी अधिकार को छोड़ देता है। कंपनी को अपने विवेकानुसार किसी भी क्रम में उधारकर्ता/गारंटर के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार है और गारंटर इसके द्वारा सहमत है कि वह किसी भी आधार पर कंपनी द्वारा किए गए दावे पर सवाल नहीं उठाएगा।

j) कंपनी किसी भी समय, उधारकर्ता को किसी तीसरे पक्ष से गारंटी सहित ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूतियां प्रदान करने की आवश्यकता कर सकती है, जैसा कि कंपनी अपने विवेकानुसार उचित समझे। ऐसी स्थिति में उधारकर्ता अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा और इस संबंध में ऐसे समझौतों, उपक्रमों, दस्तावेजों, मुख्तारनामा/मुख्तारनामा को निष्पादित करेगा जो कंपनी द्वारा आवश्यक हो सकते हैं। उधारकर्ता समझौते को रद्द नहीं करेगा या ऐसे किसी भी अनुबंध, समझौते, उपक्रम, दस्तावेज आदि को समाप्त नहीं करेगा, जब तक कि इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा कंपनी को देय सभी राशि पूरी तरह से भुगतान नहीं कर दी जाती है और उधारकर्ता कंपनी से ऐसे अनुरोध प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर कंपनी को इसे प्रस्तुत करने का वचन देता है। वे इस एग्रीमेंट के तहत कंपनी को मिलने वाली सभी रकम के पेमेंट के लिए हमेशा पर्सनली लायबल रहेंगे, जो उनके, उनकी एस्टेट और प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ लागू हो सकती है, भले ही कंपनी के पास कोई और अधिकार या उपाय मौजूद हों।

l) ऊपर बताई गई किसी भी बात के बावजूद, बॉरोअर डिफॉल्ट होने पर, कंपनी को बॉरोअर द्वारा दी जाने वाली सभी या किसी भी रकम के पेमेंट और डिस्चार्ज के लिए, जो किसी भी समय कंपनी को देनी है, कंपनी के पक्ष में और कंपनी द्वारा बताए गए तरीके और फॉर्म में, प्रॉपर्टी पर एक्स्ट्रा

सिक्वोरिटी देने और मॉर्गेज/चार्ज बनाने के लिए सहमत है, जिसे कंपनी अपने पक्ष में पहले और एकसक्लूसिव चार्ज के तौर पर रखेगी।

m) जहां बॉरोअर एक कंपनी है, बॉरोअर और गारंटर दोनों सहमत हैं और यह वादा करते हैं कि हाइपोथेकेशन के बावजूद, बॉरोअर एसेट पर चार्ज बनाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास फॉर्म CHG-1 फाइल करेगा। n) बॉरोअर और गारंटर इस बात से सहमत हैं और वादा करते हैं कि अगर बॉरोअर या गारंटर की कंपनी के साथ किए गए किसी दूसरे एग्रीमेंट के तहत कोई ज़िम्मेदारी है, तो कंपनी का शेड्यूल में बताए गए एसेट पर लगातार चार्ज रहेगा। इसके अलावा, बॉरोअर और गारंटर इस बात से भी सहमत हैं और वादा करते हैं कि कंपनी के पास बॉरोअर या गारंटर के कंपनी के साथ किए गए सभी मौजूदा एग्रीमेंट पर ऐसे शेड्यूल एसेट्स पर चार्ज और कब्ज़ा करने का अधिकार बना रहेगा।

o) किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट में बताए गए कंपनी के अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, इस एग्रीमेंट के आर्टिकल 10 के तहत बताए गए किसी भी डिफॉल्ट की घटना होने पर या एग्रीमेंट की किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, कंपनी के पास सिक्वोरिटी को लागू करने और एग्रीमेंट के तहत बॉरोअर द्वारा दी जाने वाली पूरी रकम के लिए बॉरोअर द्वारा दी गई किसी भी सिक्वोरिटी को किसी भी क्रम में, जैसा वह ठीक और उचित समझे, लगाने का पूरा अधिकार होगा। सिक्वोरिटी को लागू करने की स्थिति में, कंपनी मिली रकम में किसी भी नुकसान या कमी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी या सिक्वोरिटी की कीमत में किसी भी कमी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी। ऐसी बिक्री कंपनी द्वारा बॉरोअर के प्रति किसी जवाबदेही के बिना की जाएगी और कंपनी द्वारा अधिकारों के इस्तेमाल/न करने के कारण सिक्वोरिटीज़ के नुकसान/क्षति/मूल्य में कमी के लिए कंपनी ज़िम्मेदार नहीं होगी और बॉरोअर इस आधार पर कंपनी के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा कि ज़्यादा मूल्य मिल सकता था या मिलना चाहिए था या इस एग्रीमेंट के तहत बाकी बकाया के लिए अपनी ज़िम्मेदारी पर विवाद कर सकता है।

p) बॉरोअर के कब्जे में सिक्वोरिटी या गिरवी रखे गए एसेट के संबंध में कोई भी बढ़ोतरी, हक और सभी डॉक्यूमेंट्स बॉरोअर द्वारा ट्रस्ट में और कंपनी के फायदे के लिए रखे जाएंगे। 9. इंस्टॉलमेंट में बदलाव और री-शेड्यूलिंग:

a) कंपनी अपनी मर्जी से, बिना किसी ज़िम्मेदारी के, उन शर्तों और नियमों पर, जो उसे ठीक लगे, आगे के समय के लिए सुविधा का रिव्यू करने का अधिकार रखती है।

b) कंपनी खुद या बॉरोअर के कहने पर, अगर उसे ठीक लगे, तो बॉरोअर की फॉर्मल सहमति से, इंस्टॉलमेंट को उस तरीके से और उस हद तक बदल या री-शेड्यूल कर सकती है, जैसा वह तय करे, जिसके बाद बॉरोअर शेड्यूल में कही गई किसी भी बात के बावजूद, बताए गए बदलाव और री-शेड्यूलिंग के अनुसार रीपेमेंट करेगा। बॉरोअर को रिविज़न की ज़रूरतों का पालन करना होगा, जिसमें बदले हुए स्ट्रक्चर के अनुसार पोस्ट डेटेड चेक/ECS या NACH मंडेट देना शामिल है।

c) बॉरोअर के लोन रीपेमेंट के संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, कंपनी अपनी मर्जी से इसके तहत दिए गए लोन के अलावा और भी लोन दे सकती है। एकस्ट्रा लोन सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने पर दिए जा सकते हैं जो कंपनी समय-समय पर कंपनी के मौजूदा क्रेडिट नॉम्स के हिसाब से तय कर सकती है। इस क्लॉज के आधार पर बॉरोअर को एकस्ट्रा लोन क्लेम करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

10. डिफॉल्ट की घटनाएँ:

नीचे दी गई घटनाएँ “डिफॉल्ट की घटना” मानी जाएँगी: -

a) बॉरोअर या गारंटर अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहना, लोन या कोई इंस्टॉलमेंट, फ़ीस, चार्ज, या लागत या कंपनी को देय कोई भी दूसरी रकम, जो यहाँ बताए गए तरीके से देनी है, जब भी वह देनी हो, चाहे कंपनी ने माँगी हो या नहीं; या

b) अगर कंपनी की राय में, बॉरोअर ने लोन के बारे में कोई ज़रूरी जानकारी छिपाई है; या

c) इन्सॉल्वेंसी, वाइडिंग अप, अपनी मर्जी से या किसी और तरह से, बिज़नेस में फेलियर, बैंकरप्सी का कोई एक्ट होना, बॉरोअर/गारंटर के क्रेडिटर्स के फायदे के लिए जनरल असाइनमेंट, या अगर बॉरोअर/गारंटर किसी क्रेडिटर को पेमेंट रोक देता है या ऐसा करने की धमकी देता है, तो इस एग्जिमेंट के तहत उसके एसेट्स, खासकर हाइपोथेकेटेड एसेट्स पर रिसीवर/ट्रस्टी या इसी तरह के ऑफिसर का अपॉइंटमेंट, बॉरोअर/गारंटर द्वारा या उसके खिलाफ बैंकरप्सी में कोई पिटीशन फाइल करना या बॉरोअर/गारंटर के वाइडिंग अप के लिए कोई पिटीशन फाइल करना - और उसे स्वीकार होने के 30 दिनों के अंदर वापस न लेना; या

d) अगर बॉरोअर/गारंटर (एक कंपनी होने के नाते) अमेलगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन के मकसद से लिक्विडेशन में चला जाता है, सिवाय कंपनी की पहले से लिखी हुई मंजूरी के; या

e) अगर बॉरोअर/गारंटर अपना बिज़नेस बंद कर देता है या बंद करने की धमकी देता है; या

f) अगर कंपनी द्वारा नियुक्त अकाउंटेंट या अकाउंटेंट्स की फर्म (जिसके लिए कंपनी हकदार है और किसी भी समय ऐसा करने के लिए अधिकृत है) यह सर्टिफ़ाई करती है कि बॉरोअर की लायबिलिटीज़ बॉरोअर के एसेट्स से ज़्यादा हैं या बॉरोअर घाटे में बिज़नेस कर रहा है; या

g) अगर बॉरोअर कंपनी की लिखित सहमति के बिना, किसी भी तरह से, गिरवी रखे गए एसेट को बेचता है, उस पर बोझ डालता है या ट्रांसफ़र करता है या बेचने, ट्रांसफ़र करने, बोझ बनाने, गिरवी रखने की कोशिश करता है; या

h) अगर बॉरोअर गिरवी रखे गए एसेट के लिए कोई इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं देता है; या

i) गिरवी रखे गए एसेट को ज़ब्त या अटैच किया जाता है, किसी अथॉरिटी द्वारा कस्टडी में लिया जाता है या उस पर कोई एग्ज़िक्यूशन प्रोसीडिंग्स की जाती है; या

- j) अगर बॉरोअर कोई टैक्स, इंपोस्ट, ड्यूटी या दूसरी फीस या चार्ज/खर्च नहीं दे पाता है या समय-समय पर कानून के तहत हाइपोथेकेटेड एसेट के संबंध में पूरी की जाने वाली किसी भी दूसरी कानून, रेगुलेशन, फॉर्मैलिटी का पालन नहीं कर पाता है; या
- k) हाइपोथेकेटेड एसेट किसी भी वजह से चोरी हो जाता है या उसका पता नहीं चल पाता है; या
- l) हाइपोथेकेटेड एसेट ज़ब्त हो जाता है या किसी भी तरह से खतरे में पड़ जाता है या डैमेज हो जाता है या इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है या एसेट के साथ किसी दुर्घटना में किसी तीसरे पक्ष को चोट लग जाती है; या
- m) बॉरोअर द्वारा कंपनी को दिए गए या दिए जाने वाले किसी भी PDCs/NACH या ECS मंडेट को पेश करने पर किसी भी वजह से पूरा नहीं किया जाता है/कैश नहीं किया जाता है; या
- n) अगर बॉरोअर किसी भी वजह से किसी भी PDC/ECS/NACH मंडेट का पेमेंट रोकने का कोई इंस्ट्रक्शन देता है या अगर बॉरोअर का कंपनी को जारी किया गया कोई पोस्ट डेटेड चेक/ECS/NACH मंडेट डिसऑनर हो जाता है; या
- o) बॉरोअर कंपनी के फेवर में किए गए हाइपोथेकेशन एंडोर्समेंट के साथ हाइपोथेकेटेड एसेट के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं देता है; या
- p) बॉरोअर इस एग्रीमेंट में दिए गए एसेट (पुराने और नए दोनों व्हीकल/इक्विपमेंट) की डिटेल्स फाइल करने में फेल हो जाता है; या
- q) अगर कोई ऐसी सिचुएशन या घटना होती है जो कंपनी के इंटरेस्ट या बॉरोअर/गारंटर द्वारा उसके किसी भी हिस्से की दी गई किसी भी सिक्योरिटी के लिए नुकसानदायक है या उसे नुकसान पहुंचाती है या उसे खतरे में डालती है या नुकसान पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने, डेप्रिसिएट करने या खतरे में डालने की संभावना है; या r) बॉरोअर/गारंटर अगर यहां दी गई किसी भी शर्त, नियम और शर्तों या दी गई किसी भी जानकारी का उल्लंघन करता है या अगर इस एग्रीमेंट के तहत दी गई कोई भी जानकारी या जमा किया गया कोई दूसरा डॉक्यूमेंट गलत, गलत या गुमराह करने वाला पाया जाता है; या
- s) अगर लोन मिलने के बाद बॉरोअर और/या गारंटर/गारंटर्स (जब पति/पत्नी हों) का तलाक हो जाता है या इसके लिए किसी फैमिली कोर्ट में कोई कार्रवाई की जाती है या शुरू की जाती है या शुरू की जाती है; या
- t) बॉरोअर की मौत/पागलपन या किसी और कानूनी अक्षमता पर; या
- u) कंपनी की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना बॉरोअर के गठन या मैनेजमेंट में कोई बड़ा बदलाव होने पर या बॉरोअर के मैनेजमेंट पर कंपनी का भरोसा खत्म हो जाने पर; या
- v) बॉरोअर/गारंटर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किसी दूसरे लोन/सुविधा/किसी एग्रीमेंट का उल्लंघन करता है; या

w) बॉरोअर/गारंटर कंपनी के साथ किसी दूसरे एग्रीमेंट के तहत कोई डिफॉल्ट करता है जिसमें बॉरोअर/गारंटर या तो बॉरोअर/गारंटर है; या

x) गारंटर/गारंटर्स द्वारा दी गई गारंटी में कोई कमी/कमजोरी जिससे गारंटी बेअसर/निष्क्रिय हो जाती है; या

y) अगर बॉरोअर के लिए इस एग्रीमेंट या किसी दूसरे संबंधित डॉक्यूमेंट के तहत अपनी कोई ज़िम्मेदारी पूरी करना गैर-कानूनी हो जाता है या गारंटर या किसी दूसरे व्यक्ति (जिसमें बॉरोअर भी शामिल है) के लिए इस एग्रीमेंट के तहत अपनी कोई ज़िम्मेदारी पूरी करना गैर-कानूनी हो जाता है; या

z) यह एग्रीमेंट या कोई दूसरा संबंधित डॉक्यूमेंट, चाहे वह गारंटर या किसी दूसरे व्यक्ति (जिसमें बॉरोअर भी शामिल है) द्वारा किया गया हो, बेअसर या गैर-कानूनी हो जाता है या उसे रद्द घोषित कर दिया जाता है या बॉरोअर या गारंटर या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से बेअसर, गैर-कानूनी या रद्द होने का आरोप लगाया जाता है; या

aa) बॉरोअर/गारंटर इस एग्रीमेंट या किसी दूसरे संबंधित डॉक्यूमेंट को खारिज करता है या खारिज करने का इरादा दिखाता है; या

bb) प्राकृतिक आपदाओं/अप्रत्याशित परिस्थितियों के होने पर, जिससे एसेट की कीमत कम हो जाती है (जिस पर फैसला कंपनी के पास पूरी तरह से विवेक का होगा); या

cc) अगर लोन या उसका कोई हिस्सा उस मकसद के अलावा किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिए बॉरोअर ने अप्लाई किया था और कंपनी ने मंजूरी दी थी; या

dd) कोई ऐसी घटना या घटनाओं का सिलसिला होता है, जिसका कंपनी की राय में, बॉरोअर की रीपेमेंट क्षमता पर काफी बुरा असर पड़ने की संभावना है; या

ee) बॉरोअर/गारंटर का स्टेटस रेजिडेंट से नॉन-रेजिडेंट में बदल जाता है; या

ff) अगर बॉरोअर/गारंटर, या किसी गिरवी रखे गए एसेट/एस के खिलाफ कोई अटैचमेंट, डिस्ट्रेस, एग्जीक्यूशन या कोई और प्रोसेस लागू किया जाता है या उस पर टैक्स लगाया जाता है; या

gg) अगर बॉरोअर या गारंटर पर किसी कोर्ट या सरकारी अधिकारियों द्वारा किसी अपराध के लिए आरोप लगाया जाता है या उसे दोषी ठहराया जाता है; या

hh) अगर बॉरोअर/गारंटर कंपनी या उससे जुड़ी कंपनियों के साथ किए गए इस या किसी दूसरे एग्रीमेंट की किसी भी शर्त पर बहस करता है; या

ii) अगर कोई डिफॉल्ट की घटना होती है या कोई ऐसी घटना होती है जो डिफॉल्ट की घटना मानी जाएगी, तो बॉरोअर तुरंत कंपनी को लिखकर बताएगा कि ऐसी डिफॉल्ट की घटना क्यों हुई। बॉरोअर/गारंटर को कंपनी एक्ट, 2013 या किसी दूसरे कानून के तहत कंपनी बंद होने का कोई कानूनी

नोटिस या बॉरोअर/गारंटर के खिलाफ दायर/शुरू किया जाने वाला कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई मिलने पर भी वह तुरंत कंपनी को बताएगा; या

इस सवाल पर कि क्या ऊपर बताई गई कोई घटना/हालात हुए हैं, कंपनी का फैसला आखिरी, आखिरी और बॉरोअर/गारंटर पर लागू होगा; या

11. ज़बती, टर्मिनेशन और कंपनी के दूसरे अधिकार:

a) आर्टिकल 10 में बताई गई डिफॉल्ट की किसी भी घटना के होने पर, एसेट पर बॉरोअर के अधिकार बिना किसी नोटिस के अपने आप खत्म हो जाएँगे और बॉरोअर को एसेट उसी हालत में कंपनी को देना होगा जिसमें वह उसे मिला था, जिसमें बॉरोअर द्वारा किए गए सभी एक्सेसरीज़/मॉडिफिकेशन शामिल हैं, आम टूट-फूट को छोड़कर और अगर एसेट कोई गाड़ी है, तो कानूनों और/या उनके तहत बनाए गए नियमों में बताए गए लागू फॉर्म के साथ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी एसेट के साथ कंपनी को दिया जाएगा। बॉरोअर द्वारा एसेट सरेंडर न करना या मना करना गैर-कानूनी रोक माना जाएगा, जिसके लिए कंपनी कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हकदार होगी, बिना कंपनी के दूसरे अधिकारों/कानूनी उपायों पर कोई असर डाले।

i) नोटिस: रीपेमेंट में किसी भी तरह की चूक होने पर, जिसमें ऊपर बताई गई डिफॉल्ट की कोई भी घटना और/या ऊपर बताए गए एसेट को सरेंडर न करना शामिल है, कंपनी बॉरोअर को कंपनी में रजिस्टर्ड उसके पते पर 7 दिन का नोटिस जारी करेगी। यह नोटिस बॉरोअर को पोस्ट करने की तारीख के बाद दूसरे वर्किंग डे या असल तारीख को सर्व किया हुआ माना जाएगा।

b) खत्म होना:

बॉरोअर के एसेट सरेंडर करने या कंपनी के उसे वापस लेने पर, शेड्यूल में बताए गए लोन के टर्म के बावजूद, एग्रीमेंट बिना किसी नोटिस के खत्म हो जाएगा।

ऊपर बताई गई बातों और/या इस एग्रीमेंट में खत्म होने की किसी भी शर्त पर कोई असर डाले बिना, यह एग्रीमेंट इन वजहों से भी खत्म हो सकता है:

i) एग्रीमेंट में बताए गए लोन के टर्म के खत्म होने पर समय बीतने पर; या

ii) कंपनी की तरफ से बॉरोअर और गारंटर को अपने फैसले के बारे में लिखकर नोटिस देकर पहले ही। ऐसे खत्म होने पर, कंपनी के पास एसेट वापस लेने की वैसी ही पावर होगी जैसी किसी डिफॉल्ट की घटना होने पर होती है।

ऊपर बताए गए किसी भी तरीके से खत्म होने पर:

iii) बॉरोअर और गारंटर उसके बाद बाकी बची हुई रकम के किश्तों में पेमेंट का फायदा पाने के हकदार नहीं होंगे, जो तुरंत देनी होगी, साथ ही पहले से बकाया रकम, चाहे वह किश्तों, पेनल्टी

चार्ज या किसी भी दूसरे अकाउंट से हो। iv) बॉरोअर को शेड्यूल में बताए गए रेट पर टर्मिनेशन प्राइस पर पीनल चार्ज देना होगा, जिसकी कैलकुलेशन टर्मिनेशन की तारीख से लेकर पूरा पेमेंट मिलने तक की जाएगी।

c) कंपनी के दूसरे अधिकार:

i) पार्टियों के बीच यह खास तौर पर तय होता है कि बॉरोअर और/या गारंटर, जैसा भी मामला हो, द्वारा कंपनी के साथ किसी दूसरे एग्रीमेंट के तहत बनाया गया चार्ज, उस एग्रीमेंट के तहत सभी ड्यूज के पेमेंट के बावजूद, लगातार बना रहेगा और कंपनी को पूरे हो चुके एग्रीमेंट पर भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) रोकने और इस एग्रीमेंट के तहत ड्यूज की वसूली के लिए, किसी दूसरे एग्रीमेंट के तहत रखे गए एसेट/एस को कोर्ट के दखल के बिना वापस लेने और बेचने की आज्ञा दी होगी।

ii) इस एग्रीमेंट के तहत या इससे जुड़े एग्रीमेंट में रखे गए एसेट की बिक्री या इस एग्रीमेंट के तहत बॉरोअर/गारंटर द्वारा दी गई किसी दूसरी सिक्योरिटी के लागू होने की स्थिति में, कंपनी मिली हुई रकम में किसी भी नुकसान या कमी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी या एसेट/सिक्योरिटी की कीमत में किसी भी कमी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी। ऐसी बिक्री कंपनी बॉरोअर और गारंटर के प्रति किसी भी जवाबदेही के बिना करेगी और कंपनी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने या न करने की वजह से एसेट/सिक्योरिटी के नुकसान/नुकसान/कीमत में कमी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी और बॉरोअर/गारंटर इस आधार पर कंपनी के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा कि ज़्यादा रकम मिल सकती थी या मिलनी चाहिए थी या इस एग्रीमेंट के तहत बाकी बकाया के लिए अपनी ज़िम्मेदारी पर विवाद कर सकता है।

iii) बकाया रकम की रिकवरी के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के कंपनी के अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, बॉरोअर और गारंटर साफ तौर पर यह मानते हैं कि कंपनी अपनी मर्जी से थर्ड पार्टी को अपॉइंट करने की हकदार होगी और ऐसे थर्ड पार्टी इस एग्रीमेंट के तहत अपने सभी या किसी भी काम, अधिकार और पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बॉरोअर से बकाया वसूलने का अधिकार भी शामिल है, बिना बॉरोअर की पहले से मंजूरी के।

iv) यह साफ तौर पर सहमति और समझ है कि किसी भी डिफॉल्ट की घटना होने पर एसेट का कब्ज़ा और/या बिक्री, कंपनी द्वारा बॉरोअर और/या गारंटर के खिलाफ इस एग्रीमेंट के तहत बकाया किसी भी रकम के दावे को लागू करने के लिए एक ज़रूरी शर्त नहीं होगी।

v) कंपनी की ओर से एसेट को कब्ज़ा करने में कोई भी नाकामी, नाकामी या चूक, अगर वह ऐसा तय करती है तो किसी भी समय एग्रीमेंट को खत्म करने के उसके अधिकार पर असर नहीं डालेगी, न ही यह डिफॉल्ट को माफ़ करने या उसे माफ़ करने का काम करेगी या एग्रीमेंट के तहत बॉरोअर और/या गारंटर से पर्सनली बकाया सभी रकम वसूलने के अधिकार पर असर डालेगी।

vi) इस एग्रीमेंट में कहीं और कही गई किसी भी बात के बावजूद, ऐसे खत्म होने के बाद लोन को जारी रखना, कंपनी की पूरी और पूरी मर्जी पर होगा और बॉरोअर का बकाया कंपनी को देना

होगा, जैसा कि कंपनी उस समय तय करेगी। कंपनी किसी भी समय, अपनी मर्जी से और बिना कोई कारण बताए, बॉरोअर से बॉरोअर का बकाया चुकाने के लिए कह सकती है और उसके बाद बॉरोअर, ऐसा कहे जाने पर, बिना किसी देरी के, बॉरोअर का पूरा बकाया कंपनी को चुका देगा। बॉरोअर द्वारा बताई गई बकाया रकम आखिरी होगी और बॉरोअर पर लागू होगी।

vii) अगर बॉरोअर के लोन और/या दूसरे फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के बारे में कोई शक, गलत काम या फ्रॉड एक्टिविटी का संकेत मिलता है, तो कंपनी बॉरोअर के खर्च पर अपने कर्मचारी, एजेंट और/या कंपनी की पसंद के एक्सटर्नल ऑडिटर/अकाउंटेंट के ज़रिए खुद ऑडिट करने की हकदार होगी। बॉरोअर कंपनी के कर्मचारी, एजेंट, अकाउंटेंट/ऑडिटर को अपने ऑफिस/जगह और उनके सभी रिकॉर्ड तक जाने देगा और उस ऑडिट के लिए उन्हें जो भी जानकारी/रिकॉर्ड चाहिए, वह देगा। कंपनी को अपने कर्मचारी, एजेंट और/या बाहरी ऑडिटर/अकाउंटेंट से मिली ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर या कंपनी के पास मौजूद ज़रूरी सामान/रिकॉर्ड और अपनी जांच/असेसमेंट के आधार पर, अगर जमा की गई ऑडिट रिपोर्ट का कोई नतीजा नहीं निकलता है या बॉरोअर के सहयोग न करने की वजह से उसमें देरी होती है, तो कंपनी यह नतीजा निकालेगी कि लोन अकाउंट फ्रॉड है या नहीं। कंपनी लोन अकाउंट को फ्रॉड या कुछ और मानने के लिए RBI की मौजूदा गाइडलाइंस को मानेगी। viii) अगर बॉरोअर के पास एक से ज़्यादा लोन अकाउंट हैं या बॉरोअर की ग्रुप कंपनी(यों) के कंपनी में लोन अकाउंट हैं, और अगर बॉरोअर के एक लोन अकाउंट को कंपनी फ्रॉड मानती है, तो कंपनी बॉरोअर/उसकी ग्रुप कंपनी(यों) के दूसरे अकाउंट्स की जांच/ऑडिट करने की हकदार होगी, जिनमें बॉरोअर के एक या ज़्यादा प्रमोटर/होल-टाइम डायरेक्टर कॉमन हों।

ix) कंपनी बॉरोअर/उसकी ग्रुप कंपनियों के लोन अकाउंट्स में फ्रॉड की घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस, दूसरी संबंधित अथॉरिटी और/या RBI जैसी सही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी(यों) को करने की भी हकदार होगी।

12. एप्रोप्रिएशन:

a) कंपनी को लोन एग्रीमेंट के तहत और बॉरोअर द्वारा ड्यू के लिए किए गए किसी भी पेमेंट को, जैसा कंपनी ठीक समझे, किसी भी क्रम में, नीचे दिए गए कामों के लिए एप्रोप्रिएट करने का अधिकार होगा:

- i) प्रिंसिपल ड्यू का रीपेमेंट।
- ii) इंटररेस्ट।
- iii) पेनल्टी चार्ज, अगर कोई हो।
- iv) कॉस्ट, चार्ज, खर्च और दूसरे पैसों पर इंटररेस्ट।
- v) प्रीक्लोजर पर प्रीमियम, अगर लागू हो।

vi) कॉस्ट, चार्ज, खर्च और दूसरे पैसे।

पार्टियों के बीच यह खास तौर पर तय हुआ है कि अगर बॉरोअर/गारंटर ने इस एग्रीमेंट के अलावा, कंपनी के साथ अपने नाम पर या अपने नॉमिनी या रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर, बॉरोअर/हायरर/लेसी या गारंटर के तौर पर, पहले ही कोई दूसरा लोन/हायर परचेज/लीज या दूसरा एग्रीमेंट किया है या भविष्य में करता है, तो:

b) इस एग्रीमेंट के तहत बॉरोअर/गारंटर या उसके नॉमिनी, रिप्रेजेंटेटिव, जैसा भी मामला हो, द्वारा किया गया कोई भी पेमेंट सिर्फ "ऑन अकाउंट पेमेंट" माना जाएगा और कंपनी अपने हिसाब से बॉरोअर, उसके नॉमिनी या रिप्रेजेंटेटिव द्वारा कंपनी के साथ किए गए किसी भी एग्रीमेंट के अकाउंट में, चाहे उसके समय के दौरान हो या उसके बाद, जैसा भी कंपनी ठीक समझे, उसे लगा देगी, भले ही इसके उलट कोई खास इंस्ट्रक्शन न हों।

c) कंपनी को शेड्यूल में बताए गए एसेट पर कब्जा करने/बेचने की आजादी होगी, ताकि बॉरोअर या उसके/उनके नॉमिनी, रिप्रेजेंटेटिव द्वारा कंपनी के साथ किए गए किसी भी दूसरे एग्रीमेंट के तहत दिए जाने वाले ड्यूज को पूरा किया जा सके, भले ही इस एग्रीमेंट के तहत ड्यू और पे करने लायक सभी अमाउंट का पेमेंट और सेटलमेंट हो गया हो और ऐसे एग्रीमेंट/एग्रीमेंट्स के तहत कंपनी के दूसरे अधिकारों पर कोई असर न पड़े।

d) बॉरोअर या गारंटर द्वारा कंपनी के साथ किसी दूसरे एग्रीमेंट के तहत बनाया गया चार्ज, जैसा भी हो, लगातार रहेगा और कंपनी को पूरे हो चुके एग्रीमेंट्स पर भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) रोकने और इस एग्रीमेंट के तहत बॉरोअर या गारंटर द्वारा दिए जाने वाले ड्यूज को पूरा करने के लिए, कोर्ट के दखल के बिना, बॉरोअर को दिए गए एसेट/एसेट को वापस लेने और बेचने की आजादी होगी।

e) कंपनी के अधिकारों पर बिना किसी नुकसान के, बॉरोअर/गारंटर इस बात से सहमत है और मंजूरी देता है कि इस एग्रीमेंट के तहत दी गई सिक्योरिटी, कंपनी के साथ किसी दूसरे एग्रीमेंट के तहत सभी बकाया उधार, अगर कोई हो, के लिए भी एक जारी सिक्योरिटी के तौर पर काम करेगी और कंपनी के पास इस एग्रीमेंट के तहत दी गई सिक्योरिटी को लिक्विडेट करने और बॉरोअर/गारंटर के किसी दूसरे एग्रीमेंट के तहत ऐसे सभी बकाया को चुकाने के लिए इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार होगा, भले ही इस एग्रीमेंट के तहत कोई डिफॉल्ट न हो।

13. बॉरोअर्स और गारंटर के वादे और रिप्रेजेंटेशन:

बॉरोअर और गारंटर कंपनी को ये कन्फर्म और डिक्लेयर करते हैं

a) कि बॉरोअर और गारंटर आम भारतीय नागरिक हैं और इस लोन के समय के दौरान भी ऐसे ही बने रहेंगे।

b) बॉरोअर/गारंटर के पास इस एग्रीमेंट को करने और उसे पूरा करने की पूरी लीगल कैपेसिटी है। बॉरोअर/गारंटर को किसी भी कानून, कानून, जजमेंट, डिक्री, रूलिंग, कॉन्ट्रैक्ट या किसी और तरह से इस एग्रीमेंट में बताए गए तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और पूरा करने से रोका या रोका नहीं गया है। पूरा होने पर, यह एग्रीमेंट बॉरोअर/गारंटर का एक वैलिड और लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट होगा जो इस एग्रीमेंट के हिसाब से उसके खिलाफ लागू होगा। बॉरोअर/गारंटर (अगर कंपनी/लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म/दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट है) भारत के कानूनों के तहत सही तरीके से ऑर्गनाइज्ड है और मौजूद है, जिसके पास इस एग्रीमेंट में शामिल होने की पूरी पावर और अथॉरिटी है, जिसमें वह एक पार्टी है और उनके रिप्रेजेंटेटिव भी सही तरीके से ऑथराइज्ड हैं।

c) इस एग्रीमेंट का एग्जिक्यूशन किसी भी कानून/कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है जो बॉरोअर/गारंटर के लिए बाइंडिंग है।

d) शेड्यूल में बताए गए एसेट पर किसी भी तरह का कोई एन्कम्ब्रेंस या कोई लियन मौजूद नहीं है।

e) बॉरोअर/गारंटर ने इस एग्रीमेंट, कोलैटरल डॉक्यूमेंट्स और हाइपोथेकेटेड एसेट के संबंध में ज़रूरी सभी ऑथराइज़ेशन, अप्रूवल, कंसेंट, लाइसेंस और परमिशन को पूरी तरह से लागू करने के लिए वह सब कुछ हासिल कर लिया है और कर लिया है।

f) कंपनी या कंपनी के किसी दूसरे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा भेजे गए सभी अकाउंट्स स्टेटमेंट बॉरोअर और गारंटर को मंज़ूर होंगे और यह बॉरोअर से मिलने वाली किसी भी रकम के सही होने का पक्का सबूत होगा।

g) कोई भी नोटिस या लेटर बॉरोअर/गारंटर के दिए गए पते पर भेजा जाएगा, और इसे भेजे जाने की तारीख से 3 दिनों के अंदर पता पाने वाले को सर्व किया हुआ माना जाएगा और अगर बॉरोअर और गारंटर के पते में कोई बदलाव होता है, तो वे तुरंत कंपनी को इसकी जानकारी देंगे, ऐसा न करने पर, उनके दिए गए आखिरी पते पर नोटिस या लेटर की सर्विस उन्हें सर्व की हुई मानी जाएगी।

h) कि कंपनी, एग्रीमेंट के तहत कंपनी के अधिकार और जिम्मेदारियों को अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को, पूरी तरह या कुछ हिस्से में, और ऐसे तरीके से और/या ऐसी शर्तों पर, जैसा कंपनी तय करे, बेचने, असाइन करने या ट्रांसफर करने की हकदार होगी, बिना बॉरोअर/गारंटर को कोई नोटिस दिए और ऐसी कोई भी बिक्री, असाइनमेंट या ट्रांसफर बॉरोअर/गारंटर पर लागू होगा और वे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इस एग्रीमेंट के फ़ायदे या जिम्मेदारी को असाइन करने के हकदार नहीं होंगे।

i) बॉरोअर का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की ओर से उधार लेने की शक्तियों की अनुपस्थिति या कमज़ोरी या उसके इस्तेमाल में कोई भी अनियमितता, इस एग्रीमेंट के तहत बॉरोअर और गारंटर के खिलाफ़ कंपनी के अधिकारों पर असर नहीं डालेगी, भले ही ऐसी अनुपस्थिति, कमज़ोरी या अनियमितता हो।

j) बॉरोअर/गारंटर ने अपने द्वारा देय सभी टैक्स और कानूनी बकाया चुका दिए हैं और उन्हें किसी भी व्यक्ति या अथॉरिटी से कोई मांग, दावा या नोटिस नहीं मिला है। इसके अलावा, बॉरोअर को ट्रांज़ैक्शन और हाइपोथेकेटेड एसेट के संबंध में सभी टैक्स, असेसमेंट, रेट, इयूटी, चार्ज और दूसरे इंपोस्ट, आउटगोइंग और ऑब्लिगेशन, जो अभी हैं और भविष्य में भी होंगे, सरकार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या किसी दूसरी अथॉरिटी को देने होंगे और मांगे जाने पर पेमेंट की रसीद दिखानी होगी। इसके अलावा, किशतों में ऑटोमैटिक रूप से कोई भी रेट, चार्ज, इंपोस्ट, लेवी और/या पैसा बढ़ जाएगा, जो सरकार या इस ट्रांज़ैक्शन द्वारा किशतों पर लगाया गया है या लगाया जा सकता है या जो इस एग्रीमेंट में शामिल होने के कारण कंपनी द्वारा देय है या हो सकता है।

k) बॉरोअर यह पक्का करेगा कि, जहां एसेट एक गाड़ी है, उसका इस्तेमाल मोटर व्हीकल एक्ट या उसके तहत बनाए गए नियमों और देश के कानूनों के अनुसार किया जाएगा।

l) यह भरोसा दिलाता है कि बॉरोअर/गारंटर के खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी केस, एक्शन या क्लेम (चाहे सिविल हो या क्रिमिनल या कुछ और) पेंडिंग नहीं है या फाइल या लिया जाने की संभावना नहीं है।

m) यह भरोसा दिलाता है कि कंपनी टैक्स या किसी दूसरे मामले से जुड़े किसी भी कानून के संबंध में बॉरोअर/गारंटर के अधिकारों या स्थिति के बारे में किसी भी दावे के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी।

n) पूरे लोन का इस्तेमाल सिर्फ नीचे दिए गए शेड्यूल में बताए गए एसेट को खरीदने के लिए या रीफाइनेंस के मामले में बॉरोअर द्वारा बताए गए इस्तेमाल के लिए करेगा और इसका इस्तेमाल कैपिटल मार्केट या रियल एस्टेट/एंटीसोशल/गैर-कानूनी कामों में निवेश सहित सट्टेबाजी के लिए नहीं करेगा।

o) दूसरे बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी रकम उधार लेने से पहले कंपनी से पहले से लिखकर इजाज़त लेनी होगी।

p) अगर एसेट गाड़ी है, तो उसे मोटर व्हीकल एक्ट, 1988, जो समय-समय पर बदला गया है और लागू है, के तहत दिए गए समय के अंदर अपने नाम पर रजिस्टर करवा लें और यह पक्का कर लें कि कंपनी के पक्ष में हाइपोथेकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ठीक से एंडोर्स और रिकॉर्ड किया गया है और इसकी एक कॉपी बिना किसी देरी के कंपनी को जमा कर दें।

q) मैन्युफैक्चरर या डीलर से एसेट की डिलीवरी लेने और उसकी फिटनेस, क्वालिटी, कंडीशन वगैरह वेरिफाई करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होंगे और एसेट की डिलीवरी लेते ही कंपनी को तुरंत बता देंगे।

r) गाड़ी पर अपना चार्ज एंडोर्स करने के लिए कंपनी को एप्लीकेशन देने के अलावा, किसी भी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई न करें। s) अगर एग्रीमेंट के समय एसेट बॉरोअर को डिलीवर नहीं किया गया है या गाड़ी उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस समय उपलब्ध न होने

वाले हाइपोथेकेटेड एसेट की डिटेल्स बॉरोअर को डिलीवरी/रजिस्ट्रेशन के एक हफ्ते के अंदर लिखकर देनी होंगी, जैसा भी मामला हो।

t) एसेट/गाड़ी की डिलीवरी लेने के एक महीने के अंदर, ओरिजिनल इनवॉइस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी, अगर लागू हो, और इंश्योरेंस पॉलिसी जमा करें, यह पक्का करते हुए कि कंपनी के पक्ष में हाइपोथेकेशन उसमें ठीक से एंडोर्स किया गया है। अगर बॉरोअर ऊपर बताए गए तरीके से इसे जमा करने में फेल रहता है, तो उसे इस एग्रीमेंट के शेड्यूल में बताए गए पेनल्टी चार्ज का पेमेंट करना होगा, जब तक कि इसे ठीक से जमा नहीं कर दिया जाता और इससे कंपनी के यहां दिए गए दूसरे निहित अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

u) सभी कानूनों, रेगुलेशन और नियमों वगैरह का ठीक से और समय पर पालन करें, और एसेट के संबंध में लगाए गए या लगने वाले सभी चार्ज का पेमेंट करें। बॉरोअर, गिरवी रखे गए एसेट के इस्तेमाल, ऑपरेशन और मेंटनेंस और उससे होने वाली किसी भी लायबिलिटी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

v) पक्का करें कि इंश्योरेंस पॉलिसी की सर्टिफाइड सच्ची कॉपी और उसके बाद के रिन्यूअल सर्टिफिकेट कंपनी के पास जमा हों। बॉरोअर ऐसी हर पॉलिसी कंपनी को असाइन/एंडोर्स करेगा और बॉरोअर को मिली किसी भी पॉलिसी से होने वाली सारी इनकम कंपनी को देगा।

w) एसेट पर इंश्योरेंस का पेमेंट तुरंत करें और रसीद की कॉपी कंपनी को दें। अगर बॉरोअर इंश्योरेंस का पेमेंट नहीं करता है, तो कंपनी को उसका पेमेंट करने और बॉरोअर से रीडंबर्समेंट मांगने का अधिकार होगा। अगर बॉरोअर नोटिस मिलने के तीन दिन के अंदर अमाउंट रीडंबर्स नहीं करता है, तो शेड्यूल में बताए गए इंटरैस्ट के साथ वह रकम बाकी ड्यूज के साथ कंपनी को देनी होगी।

x) गिरवी रखे गए एसेट के किसी भी नुकसान या डैमेज के बारे में कंपनी को तुरंत लिखकर बताएं और उसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों के साथ ज़रूरी क्लेम करें; बशर्ते, ऐसा कोई भी नुकसान या क्षति बॉरोअर या गारंटर को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी, भले ही इंश्योरेंस कंपनी क्लेम स्वीकार करे या न करे।

y) गिरवी रखे गए एसेट का इस्तेमाल किसी भी गलत या गैर-कानूनी या गैरकानूनी काम के लिए न करें या एसेट को किसी ऐसे काम के लिए न बदलें, जो गलत या गैर-कानूनी हो।

aa) एसेट को अच्छी हालत में रखें और लोन के पेंडिंग रहने के दौरान उसमें सभी ज़रूरी मरम्मत, बदलाव और सुधार करें। कंपनी को हमेशा ऐसे एसेट/गाड़ी की लोकेशन के बारे में बताते रहें। बॉरोअर कंपनी की लिखित सहमति के बिना एसेट/गाड़ी को उस जगह से न तो हटाएगा और न ही हटाने देगा और न ही एसेट गाड़ी को किसी दूसरी जगह रखेगा।

bb) ऐसे नुकसान या क्लेम जमा करने के तीन दिन के अंदर, एसेट की रजिस्ट्रेशन बुक या एसेट से जुड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी के खोने, खराब होने या गलत जगह पर रखे जाने की जानकारी कंपनी

को लिखकर दें। ऐसे में, कंपनी, इस एग्रीमेंट के तहत अपने दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, बॉरोअर से कंपनी के हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाने के लिए कह सकती है।

cc) एसेट या उसके किसी हिस्से पर कोई अटैचमेंट या परेशानी नहीं होने देना या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होने देना जिससे इसमें दी गई सिक्योरिटी को नुकसान हो या वह खतरे में पड़ जाए।

dd) ऐसे काम, डीड, एश्योरेंस, मामले और चीज़ें करना जिनकी कंपनी को यहां बनाई गई सिक्योरिटी और इसके द्वारा दिए गए अधिकारों, शक्तियों और उपायों को और पक्का करने और कन्फर्म करने के लिए ज़रूरत हो और बॉरोअर के अपने खर्च पर ऐसे डॉक्यूमेंट बनाना जिनकी इस बारे में ज़रूरत हो।

ee) कंपनी को सभी लागतों, खर्चों, दावों और कार्रवाइयों (दुर्घटना, नुकसान या किसी और तरह की स्थिति में थर्ड पार्टी की ज़िम्मेदारी सहित) से मुआवज़ा देने और नुकसान से बचाने के लिए सहमत हों और सभी पेमेंट और खर्चों को पूरा करें, जिसमें कानूनी लागत, फीस और एसेट का कब्ज़ा लेने, इंश्योरेंस और बिक्री के खर्च शामिल हैं, जिसमें किराए या टैक्स के सभी पेमेंट शामिल हैं, जो कंपनी द्वारा किए गए किसी भी मामले या चीज़ के लिए या उसके कारण किए गए हैं और एसेट में अपने अधिकारों या प्राँपर्टी की सुरक्षा, मुकदमा चलाने, बचाव करने या स्थापित करने में ठीक से हुए सभी लागतों, चार्ज और खर्चों को पूरा करें।

ff) कंपनी से पहले से ली गई लिखित अनुमति के बिना एसेट को बेचना, ट्रांसफर करना, चार्ज बनाना, असाइन करना, गिरवी रखना, गिरवी रखना, हाइपोथेकेट करना, किराए पर देना या सरेंडर करना या किसी भी तरह से एसेट या उसके किसी भी हिस्से के साथ डील करना या उससे डील करना, सिवाय इसके कि जैसा कि यहां बताया गया है।

gg) कंपनी की लिखित सहमति के बिना, जिस एसेट में एसेट एक गाड़ी है, उस गाड़ी को किसी दूसरे राज्य में री-रजिस्टर न कराना।

hh) जब तक एसेट को गिरवी से नहीं छोड़ा जाता, तब तक कंपनी और उसके अधिकारियों, एजेंट या लोगों को एसेट का इंस्पेक्शन करने और किसी भी ऐसी जगह पर जाने की इजाज़त दें जहाँ इसे रखा जा सकता है; इंस्पेक्शन के अधिकार को बॉरोअर किसी भी समय मना नहीं करेगा या टालेगा नहीं।

ii) अगर कंपनी को रिपेयर के लिए एसेट/गाड़ी वापस लेना सही लगे, तो इसके लिए सहमत हों और मदद करें।

jj) कंपनी को मिलने वाले पेमेंट को इकट्ठा करने या इकट्ठा करने की कोशिश करने में हुए किसी भी खर्च का पेमेंट कंपनी को करना होगा, जिसमें पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलेक्स, रजिस्टर्ड पोस्ट, टेलीफोन कॉल, कानूनी कार्रवाई और कलेक्शन के लिए रखे गए प्रतिनिधियों के अतिरिक्त खर्च वगैरह शामिल हैं।

kk) बॉरोअर द्वारा दी गई सभी डिटेल्स, रिप्रेजेंटेशन, घोषणाएँ और जानकारी सही, सही, पूरी और अप-टू-डेट, सभी तरह से वैलिड और मौजूद हैं और कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है। बॉरोअर जहाँ भी ज़रूरी हो, ज़रूरी अपडेट देगा। बॉरोअर के खिलाफ शुरू किए गए किसी भी लिटिगेशन, आर्बिट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव या दूसरी कार्रवाई के बारे में कंपनी को तुरंत बताएंगे।

ll) अगर बॉरोअर कोई व्यक्ति नहीं है, तो उसे उन पर या उनके बिज़नेस पर लागू होने वाले सभी कानूनों का पालन करना होगा।

mm) अगर बॉरोअर एक कंपनी है, तो बॉरोअर के पास यह सुविधा लेने का अधिकार है और कुल उधार तय लिमिट के अंदर है।

nn) बॉरोअर कंपनी के नियमों का पालन करेगा और उनसे बंधा रहेगा, जैसा कि कंपनी समय-समय पर तय कर सकती है।

oo) कंपनी के पास बॉरोअर/गारंटर के सभी संबंधित अकाउंट्स पर लियन का अधिकार है, जिसमें ऐसे दूसरे अकाउंट्स भी शामिल हैं जिन्हें बाद में दर्ज किया जा सकता है/बाद में बॉरोअर/गारंटर से संबंधित पाया जा सकता है (इस संबंध में संबंधित अकाउंट्स का मतलब उन सभी अकाउंट्स से है और इसमें वे सभी अकाउंट्स शामिल हैं जहां बॉरोअर एक गारंटर है और गारंटर कंपनी से ली गई किसी भी फाइनेंशियल सुविधा के तहत बॉरोअर है)।

pp) बॉरोअर/गारंटर यह कन्फर्म करता है कि वह/उसके परिवार के सदस्य/करीबी रिश्तेदार RBI की KYC गाइडलाइंस के मुताबिक पॉलिटिकल रूप से एक्सपोज्ड व्यक्ति नहीं हैं। बॉरोअर/गारंटर यह भी वादा करता है कि ऊपर बताए गए स्टेटस में किसी भी बदलाव पर वह तुरंत कंपनी को बताएगा।

qq) बॉरोअर यह वादा करता है कि वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन्स की एक्सक्लूजन लिस्ट में है या ऐसी किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा जिससे देश के सोशल और इकोनॉमिक माहौल को खतरा हो सकता है या उस पर बुरा असर पड़ सकता है। rr) कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह जानबूझकर डिफॉल्ट करने पर, जैसा भी मामला हो, बॉरोअर और/या गारंटर को विलफुल डिफॉल्ट के तौर पर क्लासिफाई करे और इसकी रिपोर्ट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों (CIC) को दे और विलफुल डिफॉल्ट (जिसमें बॉरोअर और/या गारंटर के प्रोप्राइटर/पार्टनर/डायरेक्टर/प्रमोटर/बॉरोअर और/या गारंटर के मामलों के मैनेजमेंट के लिए ज़िम्मेदार लोग शामिल हैं, जिन्हें विलफुल डिफॉल्ट घोषित किया गया है) का नाम, फोटोग्राफ अखबारों में और/या ऐसे किसी दूसरे तरीके से पब्लिश करे, जैसा वह ठीक समझे, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के नियमों के अनुसार।

'विलफुल डिफॉल्ट' और 'विलफुल डिफॉल्टर' शब्दों का वही मतलब होगा जो रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (विलफुल डिफॉल्टर्स और बड़े डिफॉल्टर्स का ट्रीटमेंट) डायरेक्शन, 2024 के तहत दिया गया है,

जिसे समय-समय पर बदला या रद्द किया गया है। विलफुल डिफॉल्टर के क्लासिफिकेशन के संबंध में, बॉरोअर और गारंटर आगे यह वादा करते हैं कि:

i. न तो बॉरोअर और न ही उसके किसी डायरेक्टर/प्रमोटर/पार्टनर/बॉरोअर के मामलों के मैनेजमेंट के इंचार्ज/ज़िम्मेदार व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है। बॉरोअर ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका नाम RBI/CIC की विलफुल डिफॉल्टर्स लिस्ट में हो, कंपनी होने पर डायरेक्टर के तौर पर या पार्टनरशिप फर्म होने पर पार्टनर के तौर पर या अपने मामलों के मैनेजमेंट के लिए इंचार्ज और ज़िम्मेदार के तौर पर शामिल नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे इस तरह से बॉरोअर का डायरेक्टर/पार्टनर/इंचार्ज नियुक्त किया गया है और जो अब भी बना हुआ है, विलफुल डिफॉल्टर पाया जाता है, तो बॉरोअर उस व्यक्ति को डायरेक्टर/पार्टनर/इंचार्ज और मैनेजमेंट के लिए ज़िम्मेदार के तौर पर हटाने के लिए तेज़ी से और असरदार कदम उठाएगा। यह साफ़ किया जाता है कि किसी भी हालत में, कंपनी बॉरोअर को दी गई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं को रिन्यू/बढ़ाएगी/नए क्रेडिट नहीं देगी या रीस्ट्रक्चर नहीं करेगी, जब तक कि उसके प्रमोटर और/या डायरेक्टर और/या एंटीटी के मामलों के मैनेजमेंट के इंचार्ज और ज़िम्मेदार व्यक्ति का नाम विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में बना रहे।

ii. लोन या उसका कोई भी हिस्सा सिर्फ़ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिसके लिए उसे मंज़ूर किया गया है और लोन को "डायवर्ट" या "साइफन ऑफ़" नहीं किया जाएगा या किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर कंपनी बॉरोअर के ऑडिटर से बॉरोअर द्वारा फंड के डायवर्जन/साइफनिंग के बारे में कोई खास सर्टिफिकेशन चाहती है, तो कंपनी को इस मकसद के लिए बॉरोअर के ऑडिटर को एक अलग मंडेट देने का अधिकार होगा। लेकिन, अगर कंपनी चाहे, तो कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह बॉरोअर के अकाउंट्स का ऑडिट अपनी पसंद के किसी भी कर्मचारी/चार्टर्ड अकाउंटेंट/ऑडिटर से करवाए, ताकि बॉरोअर के खर्च पर फंड के डायवर्जन/साइफनिंग की जांच की जा सके। बॉरोअर कंपनी के कर्मचारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट/ऑडिटर को अपने ऑफिस/जगह और उनके सभी रिकॉर्ड देखने देगा और इस मकसद के लिए उन्हें जो भी जानकारी/रिकॉर्ड चाहिए, वह देगा।

SS) "एग्रीमेंट का फायदा" यह एग्रीमेंट बॉरोअर और उसके वारिसों, एग्जीक्यूटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और वारिसों के फायदे के लिए बाइंडिंग होगा और पक्का होगा। बॉरोअर की मौत होने पर, ऊपर बताए गए व्यक्ति को ये करना होगा:

(i) मृतक बॉरोअर के साइन किए हुए पोस्ट डेटेड चेक/NACH या ECS मंडेट इंश्योरेंस प्रीमियम चेक, फीस, चार्ज और बचे हुए चेक को उसी तरह बदलना होगा, जैसा इस एग्रीमेंट में बताया गया है, जैसे कि वह पहली बार बॉरोअर था। (ii) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अप्लाई करना होगा और गाड़ी उसके नाम पर ट्रांसफर करवानी होगी। (iii) एक नया एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी और कंपनी को जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट चाहिए, उन्हें पूरा करना होगा।

इसके बावजूद, कंपनी यह तय करने के लिए अपनी समझ का इस्तेमाल करने की हकदार होगी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ एग्रीमेंट जारी रखना है या नहीं। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऊपर बताए गए प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है या करने से मना करता है या कंपनी के क्रेडिट और दूसरी ज़रूरतों

को पूरा नहीं करता है, तो कंपनी अपनी समझ से एसेट/गाड़ी को किसी तीसरे पक्ष को वापस लेने/बेचने/बेचने/ट्रांसफर करने की हकदार होगी और ऐसी रिकवरी में जो कमी होगी, वह लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वसूल की जाएगी।

14. एक्सक्लूज़न:

a) यह एग्रीमेंट कंपनी और बॉरोअर के बीच, शेड्यूल में बताए गए गिरवी रखे एसेट को खरीदने/रीफाइनेंस करने के लिए लोन लेने की बॉरोअर की साफ़ इच्छा और रिक्वेस्ट पर किया गया है। यह साफ़ तौर पर सहमति है कि एसेट/एसेट की सभी डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन्स, डिस्क्रिप्शन बॉरोअर की जानकारी में हैं, जिसने शेड्यूल में बताए गए एसेट को पहचाना और तय किया है, किस डीलर/मैन्युफैक्चरर से इसे खरीदना है और उसकी कीमत क्या है। बॉरोअर यह मानता है कि नॉन-परफॉर्मेंस, ब्रीच या घटिया या डैमेज्ड एसेट की सप्लाई का पूरा रिस्क पूरी तरह से उसी पर होगा और कंपनी इस मामले में बॉरोअर के प्रति जिम्मेदार या लायबल नहीं होगी। b) ऊपर बताई गई बातों की आम बातों पर बिना किसी असर के, बॉरोअर कंपनी के साथ नीचे दी गई बातों को मानता है और उनसे सहमत है:

i) कि शेड्यूल में बताया गया एसेट बॉरोअर द्वारा चुने गए साइज़, डिज़ाइन, कैपेसिटी और मैन्युफैक्चर का है,

ii) कि बॉरोअर इस बात से खुश है कि शेड्यूल में बताया गया एसेट उसके इस्तेमाल के मकसद के लिए सही है।

iii) कि बॉरोअर ने दिए जाने वाले एसेट की पहचान कर ली है, और शेड्यूल में बताए गए एसेट को चुनने में वह अपनी समझ पर भरोसा करता है, न कि कंपनी या उसके अधिकारियों, एजेंटों या कर्मचारियों के किसी बयान पर।

iv) कि फिटनेस की कोई वारंटी नहीं होगी या शेड्यूल में बताया गया एसेट बेचने लायक है।

v) कि खरीदा जाने वाला एसेट बॉरोअर को डीलर/मैन्युफैक्चरर (जैसा भी मामला हो) से मिली सभी कमियों और डिफेक्ट्स (अगर कोई हों) के साथ स्वीकार करना होगा।

vi) कि कंपनी ने किसी भी तरह से एसेट की मर्चेबिलिटी, कंडीशन, क्वालिटी, ड्यूरैबिलिटी या सूटेबिलिटी के बारे में कोई रिप्रेजेंटेशन या वारंटी नहीं दी है और न ही देती है।

vii) कि सभी वादे, वारंटी और शर्तें, चाहे वे कानून द्वारा या किसी और तरह से बताई गई हों या इसके तहत कोलैटरल हों, इसके द्वारा बाहर रखी जाती हैं।

viii) कि कंपनी के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और बॉरोअर की जिम्मेदारियाँ किसी भी तरह की किसी भी लायबिलिटी, क्लेम, नुकसान, डैमेज या खर्च के बावजूद लागू होंगी:-

1) जो सीधे या इनडायरेक्टली मैनुफैक्चरर या डीलर से एसेट की डिलीवरी न होने, डिलीवरी में देरी, किसी भी डेमेरेज, कॉस्ट या एसेट की क्वालिटी/कंडीशन/फिटनेस या किसी भी मकसद के लिए उसमें किसी कमी या उसमें या उसके इस्तेमाल से हुई हो। 2) किसी भी रिपेयर, सर्विसिंग, मेंटेनेंस, या एडजस्टमेंट के संबंध में, या इसे देने में किसी भी देरी या न देने पर, किसी भी रुकावट या इस्तेमाल में कमी या बिज़नेस के किसी भी नुकसान या किसी भी तरह से हुए किसी भी नुकसान के संबंध में।

ix) कि बॉरोअर इस एग्रीमेंट के तहत किशतों और दूसरी रकमों का पेमेंट उनकी ड्यू डेट्स पर करने के लिए मजबूर है, चाहे एसेट डिलीवर हुआ हो या नहीं या किसी भी कारण से। लेकिन, अगर कंपनी जिस तारीख को डीलर को पूरा/कुछ/या कोई डिस्बर्समेंट करती है या कोई डिस्बर्समेंट करती है, उस तारीख से 3 महीने के अंदर बॉरोअर को एसेट डिलीवर नहीं किया जाता है/बॉरोअर डिलीवरी नहीं लेता है, तो कंपनी अपनी मर्ज़ी से इस एग्रीमेंट को खत्म कर सकती है और ऐसे खत्म होने पर, बॉरोअर कंपनी को वह सारा अमाउंट देगा जो कंपनी ने इस एग्रीमेंट के तहत डीलर या बॉरोअर को या इन अमाउंट के तहत किसी और व्यक्ति को एडवांस, बुकिंग कॉस्ट वगैरह के तौर पर दिया है। ऐसे अमाउंट बॉरोअर कंपनी को पेनल्टी चार्ज के साथ वापस करेगा, जो कंपनी ने उस तारीख से उस तारीख तक लगाए हैं जब तक बॉरोअर कंपनी को अमाउंट वापस नहीं कर देता।

15. एसेट का इस्तेमाल:

a) बॉरोअर यह पक्का करेगा कि वह गिरवी रखे गए एसेट का इस्तेमाल सिर्फ कानूनी कामों के लिए करे और इसका इस्तेमाल इस तरह से करे कि शराबबंदी, एक्साइज़ और दूसरे सेंट्रल या स्टेट एक्ट्स से जुड़े किसी भी कानूनी नियम का उल्लंघन न हो।

b) बॉरोअर यह वादा करता है कि इस एग्रीमेंट के जारी रहने के दौरान, जहाँ भी ज़रूरी होगा, एसेट को एक वैलिड परमिट से कवर रखेगा और एसेट का इस्तेमाल सिर्फ उसी मकसद के लिए करेगा जो बॉरोअर ने फाइनेंशियल सुविधा लेते समय जमा किए गए प्रपोज़ल फॉर्म में बताया है और यह पूरी तरह से परमिट में दिए गए नियमों और शर्तों के हिसाब से होगा, अगर कोई हो, जो उसे एसेट/एस की खरीद, स्टोरेज, इस्तेमाल पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया हो। c) बॉरोअर यह वादा करता है कि वह एसेट का इस्तेमाल खुद या अपने नौकरों या एजेंट के ज़रिए किसी ऐसे मकसद के लिए नहीं करेगा जिसकी इंश्योरेंस पॉलिसी की शर्तों में इजाज़त नहीं है, न ही ऐसा कोई काम करेगा या करने देगा जिससे इंश्योरेंस इनवैलिड हो जाए और खास तौर पर, एसेट/गाड़ी का इस्तेमाल सामान, चीज़ें वगैरह के ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं करेगा, जो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के फॉरेस्ट, एक्साइज़, कस्टम, सेल्स-टैक्स, प्रोहिबिशन, अफीम, रेलवे प्रॉपर्टी, गैर-कानूनी कब्ज़ा, गोल्ड कंट्रोल वगैरह से जुड़े एक्ट के किसी भी प्रोविज़न का उल्लंघन हो और इसे किसी भी गैर-कानूनी या गैर-कानूनी काम में शामिल नहीं करेगा और ऐसे गलत या गैर-कानूनी इस्तेमाल की वजह से कंपनी को एसेट के संबंध में हुए किसी भी नुकसान या हानि के लिए बॉरोअर ज़िम्मेदार होगा। बॉरोअर यह वादा करता है कि वह एसेट का इस्तेमाल सिर्फ उसी इस्तेमाल के लिए करेगा जो बॉरोअर ने कंपनी को बताया है और जैसा कि इस एग्रीमेंट में बताया गया है, अपने खर्च पर। d) बॉरोअर यह पक्का करेगा कि वह उस एसेट को अपनी कस्टडी और कंट्रोल में रखेगा, अच्छी वर्किंग कंडीशन

में रखेगा, रिपेयर करेगा, मंटेन करेगा और कंपनी की लिखित में पहले से मंजूरी के बिना उस एसेट को अपने पते या किसी दूसरे मंजूर पते से नहीं हटाएगा।

e) बॉरोअर समय-समय पर एसेट, जो एक गाड़ी है, के संबंध में पॉल्यूशन एमिशन क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेगा।

16. इंश्योरेंस और मंटेनेंस:

इस एग्रीमेंट को पूरा करने के तुरंत बाद और जब तक एसेट को हाइपोथेकेशन से रिलीज़ नहीं किया जाता और बॉरोअर कंपनी की संतुष्टि के लिए लोन का पूरा सेटलमेंट नहीं कर देता:

a) बॉरोअर अपने खर्च पर एसेट को आग, दंगे, नागरिक हंगामे, बाढ़, भूकंप, सुनामी, चोरी और ऐसे सभी जोखिमों के खिलाफ पूरी तरह और ठीक से इंश्योर्ड रखेगा, जिनसे एसेट आम तौर पर ज़रूरी, कॉम्प्रिहेंसिव या दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी के ज़रिए एक्सपोज़ होता है, इसके अलावा अनलिमिटेड थर्ड पार्टी लायबिलिटी जोखिमों के खिलाफ भी।

b) कंपनी को एसेट के नुकसान या क्षति के किसी भी क्लेम के तहत इंश्योरेंस कंपनियों से कोई भी पेमेंट पाने का अधिकार होगा। बॉरोअर इसके द्वारा कंपनी को इंश्योरेंस की रकम का दावा करने और इस एग्रीमेंट के तहत देय और चुकाई जाने वाली रकम के बदले उसे इस्तेमाल करने के लिए बिना बदले अधिकार देता है। बॉरोअर इंश्योरेंस कंपनियों से पेमेंट पाने के कंपनी के हक पर कोई विवाद या विरोध नहीं करेगा और अगर ज़रूरी हुआ, तो कंपनी द्वारा पेमेंट पाने में आसानी के लिए ज़रूरी लेटर, वाउचर, डिस्चार्ज या दूसरे डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। बॉरोअर इंश्योरेंस पॉलिसी और उसके रिन्यूअल के बारे में सभी निर्देशों का पालन करेगा, जैसा कि कंपनी समय-समय पर तय कर सकती है।

c) बॉरोअर इंश्योरेंस को असरदार बनाए रखने के लिए ज़रूरी सभी प्रीमियम और दूसरी रकम समय पर देगा और इंश्योरेंस पॉलिसी और उसके बाद के रिन्यूअल सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कॉपी कंपनी को देगा और देगा। बॉरोअर ऐसी हर पॉलिसी कंपनी को असाइन/एंडोर्स करेगा। हर इंश्योरेंस पॉलिसी बॉरोअर के नाम पर होगी, जिसमें कंपनी के पक्ष में 'लॉस पेयी' के तौर पर ज़रूरी एंडोर्समेंट होगा और अगर कंपनी चाहे तो कंपनी के बैंकरो के पक्ष में अतिरिक्त एंडोर्समेंट होगा।

d) कंपनी अपनी मर्जी से, लोन लेने वाले की तरफ से, एक फ़ैसिलिटेटर बनकर इंश्योरेंस करवा सकती है और लोन लेने वाला ऐसे इंश्योरेंस का खर्च वापस करेगा। इसमें कही गई किसी भी बात का यह मतलब नहीं निकाला जाएगा कि कंपनी एसेट का इंश्योरेंस करवाने के लिए कमिटमेंट कर रही है, जो लोन लेने वाले की ज़िम्मेदारी होगी और एसेट के बिना इंश्योरेंस के रहने की वजह से उसे होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए कंपनी के खिलाफ कोई क्लेम नहीं किया जाएगा।

e) लोन लेने वाले के कहने पर कंपनी अपनी मर्जी से एसेट/एसेट का इंश्योरेंस करने और/या लोन लेने वाले के पर्सनल एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज़ेशन, क्रिटिकल इलनेस के रिस्क और/या लोन की रकम के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम को फाइनेंस भी कर सकती है, इंश्योरेंस पॉलिसी के ज़रिए जिसमें कंपनी का नाम लॉस पेयी के तौर पर

मार्क किया जाएगा। लोन लेने वाले/एसेट के खास कहने पर, कंपनी लोन लेने वाले की तरफ से अपनी-अपनी ड्यू डेट पर सीधे इंश्योरेंस कंपनी को ऐसे पेमेंट कर सकती है और ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम और दूसरे चार्ज लोन की रकम का हिस्सा होंगे। f) बॉरोअर एसेट का इस्तेमाल ऐसे किसी भी मकसद के लिए नहीं करेगा जिसकी इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में इजाज़त नहीं है और ऐसा कोई काम या चीज़ नहीं करेगा या करने की इजाज़त नहीं देगा, जिससे इंश्योरेंस इनवैलिड हो जाए।

g) बॉरोअर अपने खर्च पर और बिना किसी देरी के एसेट की मरम्मत करवाएगा जो किसी एक्सीडेंट या किसी और वजह से हुई हो और इंश्योरेंस क्लेम के बिल सेटलमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी को देगा। अगर बॉरोअर पर कोई ओवरड्यू नहीं है, तो कंपनी उसे वे फायदे देगी जो कंपनी को किसी भी क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी से मिलते हैं।

h) बॉरोअर यह पक्का करेगा कि एसेट/एसेट कंपनी की संतुष्टि के लिए अच्छी और सर्विस करने लायक हालत में रहे और आग, एक्सीडेंट या किसी और वजह से हुई मरम्मत और मेंटेनेंस का सारा खर्च उठाएगा। i) इस एग्रीमेंट के दौरान किसी भी इंश्योरेंस प्रोसीड पर पहला क्लेम कंपनी का होगा और बॉरोअर कंपनी को बॉरोअर के रिस्क और कॉस्ट पर काम करने और बॉरोअर की तरफ से ज़रूरी कदम उठाने, एक्शन लेने और किसी भी क्लेम को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, जैसा कंपनी ठीक समझे, कंपनी के हितों की रक्षा करने और ऐसे क्लेम लेने के लिए पक्का अधिकार देता है। अगर कंपनी इस बारे में कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है, तो बॉरोअर कंपनी के खिलाफ कोई क्लेम करने का हकदार नहीं होगा। कंपनी के ऐसे काम को इस एग्रीमेंट के तहत किसी भी अधिकार का वेवर नहीं माना जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम के मामले में, कंपनी अपने हिसाब से क्लेम की प्रोसीड लेगी और उसे अपने पास रखेगी। एसेट के पूरे नुकसान की स्थिति में, अगर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सेटल की गई रकम, एग्रीमेंट के अनुसार बॉरोअर द्वारा पे की जाने वाली रकम और कंपनी को मिलने वाली रकम से कम है, तो बॉरोअर कंपनी को तुरंत बाकी बकाया रकम देने का वादा करता है। बॉरोअर इस बात से सहमत है और वादा करता है कि वह कंपनी और इंश्योरर के बीच हुए सेटलमेंट के बारे में कोई झगड़ा नहीं करेगा।

17. गारंटर की लायबिलिटीज़:

a) गारंटर कंपनी को गारंटी देता है कि अगर बॉरोअर ड्यू डेट्स पर इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पाता है या इस एग्रीमेंट के तहत अपनी किसी भी लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता है, तो गारंटर कंपनी को बिना किसी झगड़े या आपत्ति के ऐसी कोई भी रकम मांगने पर देने का भरोसा देता है, वादा करता है और खुद को उसके प्रति ज़िम्मेदार मानता है। हालांकि, किसी भी डिफॉल्ट होने पर कंपनी की तरफ से मांग करने में कोई भी नाकामी या देरी गारंटर को इस एग्रीमेंट के तहत लायबिलिटी से राहत नहीं देगी।

b) इस एग्रीमेंट के तहत गारंटर की लायबिलिटी, इंस्टॉलमेंट्स, इंटरैस्ट, पीनल चार्जेज़, चार्जेज़, फीस, कॉस्ट्स और बॉरोअर द्वारा कंपनी को इस एग्रीमेंट के तहत दिए जाने वाले किसी भी दूसरे ड्यूज़ सहित बाकी सभी बकाया रकमों के लिए बॉरोअर की लायबिलिटी के बराबर होगी।

c) गारंटर इस बात से सहमत है कि उसकी लायबिलिटी एक प्राइमरी ऑब्लिगर की होगी, न कि सिर्फ एक श्योरिटी की और कंपनी द्वारा बॉरोअर को दी गई किसी भी सुविधा या समय या इस एग्रीमेंट के तहत किसी भी ड्यूज के पेमेंट या लोन के रीपेमेंट में दिखाई गई किसी भी छूट या फ़ोरबियरेंस या बनाई जाने वाली किसी भी सिक्योरिटी के संबंध में गारंटी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा या खत्म नहीं किया जाएगा। गारंटर आगे इस बात से भी सहमत है कि दी गई ऐसी कोई भी सुविधा, समय या छूट या दिखाई गई फ़ोरबियरेंस, गारंटर को सही नोटिस देने के बाद और उसकी सहमति से दी गई मानी जाएगी।

d) गारंटर के खिलाफ़ कंपनी के अधिकार पूरी तरह से लागू रहेंगे, भले ही कंपनी और दूसरे गारंटर के बीच कोई भी अरेंजमेंट हो, अगर कोई हो, या उस दूसरे की लायबिलिटी के रिलीज़ होने के बावजूद, कंपनी को यह आज़ादी होगी कि वह गारंटर से उसके ऑब्लिगेशन्स को हर तरह से उसी हद तक पूरा करने की मांग करे जैसे कि गारंटर हमेशा उन ऑब्लिगेशन्स को पूरा करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार था।

e) गारंटर इस बात से सहमत है कि उसकी सहमति/मंजूरी के बिना, बॉरोअर और कंपनी इस एग्रीमेंट और/या बनाई गई सिक्योरिटी और/या बॉरोअर द्वारा कंपनी के पक्ष में किए गए सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस को बदलने, बदलने या मॉडिफ़ाई करने के लिए आज़ाद होंगे और खास तौर पर लोन के रीपेमेंट और/या बॉरोअर द्वारा कंपनी को दिए जाने वाले इंटरेस्ट और दूसरे पैसे के पेमेंट को ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस पर टालने, पोस्टपोन करने या रिवाइज़ करने के लिए आज़ाद होंगे, जिन्हें कंपनी ज़रूरी समझे, जिसमें इस एग्रीमेंट के प्रोविज़न्स के अनुसार इंटरेस्ट रेट में कोई भी बढ़ोतरी शामिल है। कंपनी को यह भी आज़ादी होगी कि वह लोन को सिक्योर करने के लिए बॉरोअर द्वारा कंपनी को दी गई या दी जाने वाली सभी या किसी भी सिक्योरिटी/सिक्योरिटीज़ को पूरी तरह से खत्म कर दे या रिलीज़ कर दे।

f) कंपनी को पूरी आज़ादी होगी कि वह गारंटर को बिना कोई नोटिस दिए और इस गारंटी पर किसी भी तरह से असर डाले बिना, किसी भी समय और किसी भी तरीके से इस एग्रीमेंट के तहत कंपनी के लिए रिज़र्व किसी भी पावर या पावर का इस्तेमाल कर सके, ताकि बॉरोअर से कंपनी को मिलने वाली किशतों या दूसरे पैसों के पेमेंट को लागू किया जा सके या लागू करने से रोका जा सके, या बॉरोअर के साथ कोई कंपोज़िशन या कंपाउंड किया जा सके या उसे समय या कोई और छूट या सुविधा दी जा सके और गारंटर को कंपनी द्वारा ऊपर बताए गए मामलों के संबंध में अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करने से या कंपनी की ओर से किसी भी काम या चूक से या किसी भी दूसरे मामले या चीज़ से रिलीज़ नहीं किया जाएगा, जो श्योरिटी से जुड़े कानून के तहत, अगर यह प्रोविज़न न होता, तो गारंटर को इस तरह रिलीज़ करने का असर डालता और गारंटर इसके द्वारा कंपनी के पक्ष में, जहाँ तक इस गारंटी के किसी भी प्रोविज़न को लागू करने के लिए ज़रूरी हो, सभी श्योरिटी और दूसरे अधिकारों को छोड़ देता है, जिन्हें गारंटर को लागू करने का अधिकार हो सकता है।

g) यह गारंटी गारंटर के खिलाफ लागू होगी, भले ही लोन के पेमेंट के लिए कोई भी सिक्योरिटी या सिक्योरिटीज़, जब इस गारंटी पर गारंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो बकाया या अन-रियलाइज़्ड या खोई हुई हों।

h) गारंटर इस बात से सहमत है कि कंपनी के अकाउंट्स के स्टेटमेंट की सही तरह से सर्टिफाइड कॉपी, इस एग्रीमेंट के तहत ड्यू और पेएबल रकम के तौर पर गारंटर पर बाइंडिंग होगी।

i) इसके तहत गारंटर की लायबिलिटी किसी भी तरह से बैंकरप्सी या बॉरोअर की बैंकरप्सी के लिए पेश की गई, पास की गई या किए गए किसी पिटीशन या रेज़ोल्यूशन या ऑर्डर या कंपनी या बॉरोअर के कॉन्स्ट्रिक्ट्यूशन में किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होगी।

j) गारंटर इस बात से सहमत है और घोषणा करता है कि बॉरोअर इस गारंटी के रहने के दौरान लोन के अलावा और लोन या दूसरी सुविधाएँ लेने और/या उन्हें रिन्यू करने के लिए आज़ाद होगा, ऐसी स्थिति में यहाँ दी गई गारंटी पर किसी भी तरह से असर नहीं पड़ेगा या वह खराब नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह से लागू रहेगी और गारंटर को बाध्य करेगी।

k) गारंटर इस बात से सहमत है कि कंपनी को सिक्योरिटी और/या एसेट रिलीज़ करने का अधिकार होगा और इस एग्रीमेंट के तहत गारंटर की ज़िम्मेदारियाँ इससे खत्म नहीं होंगी।

l) गारंटर इस बात से सहमत है कि इस एग्रीमेंट के तहत पेमेंट करने के लिए गारंटर को कहने से पहले कंपनी को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने या बॉरोअर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं होगी।

m) गारंटर इस गारंटी के तहत देय पेमेंट करने के लिए सहमत है, जब कंपनी मांग करेगी, भले ही कंपनी और बॉरोअर के बीच इस एग्रीमेंट के किसी भी प्रोविज़न या किसी अन्य संबंधित या संबंधित डॉक्यूमेंट के संबंध में कोई विवाद पैडिंग हो। n) यह गारंटी जारी रहेगी और तब तक पूरी तरह लागू रहेगी जब तक बॉरोअर लोन को सभी ब्याज, पेनल्टी चार्ज, लागत, चार्ज और अन्य सभी पैसों के साथ पूरा नहीं चुका देता, जो समय-समय पर इस एग्रीमेंट के तहत कंपनी को देय और बकाया हो सकते हैं।

o) गारंटर सहमत है कि इस एग्रीमेंट में किसी भी कमी या अमान्यता और/या अधूरे डॉक्यूमेंट या लिखित जानकारी के बावजूद, यह गारंटी मान्य और लागू रहेगी और गारंटर इस गारंटी को पूरा करने के अलावा अपनी देनदारी से मुक्त नहीं होगा।

p) यह गारंटी बॉरोअर द्वारा कंपनी को किए गए या उसके साथ तय किए गए किसी भी पेमेंट से पूरी तरह या आंशिक रूप से संतुष्ट या समाप्त नहीं होगी और इस लोन एग्रीमेंट के तहत कंपनी को देय सभी पैसों का पूरा भुगतान होने तक गारंटर पर मान्य और बाध्यकारी होगी और लागू रहेगी।

q) यह गारंटी अपरिवर्तनीय होगी और इस बात के बावजूद कि कंपनी ने कोई अन्य गारंटी, कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत, प्राप्त की हो, पूरी तरह लागू और लागू रहेगी; लोन को तब तक सुरक्षित रखना

जब तक कि कंपनी के सभी बकाया, जिसमें लोन का ब्याज सहित रीपेमेंट और दूसरे सभी खर्च और बकाया शामिल हैं, बॉरोअर द्वारा चुका दिए जाते हैं। यह गारंटी गारंटर के वारिसों, एग्जीक्यूटिव्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए बाइंडिंग होगी।

18. प्रीक्लोजर:

a) कंपनी, अपनी मर्जी से और प्रीक्लोजर के लिए तय शर्तों पर, बॉरोअर के कहने पर इंस्टॉलमेंट में तेज़ी लाने या प्रीक्लोजर की इजाज़त देगी। लोन मिलने की तारीख से छह महीने के अंदर कोई प्रीक्लोजर नहीं किया जा सकता।

b) बॉरोअर कंपनी को कम से कम 21 दिन पहले लिखकर यह बताकर कि वह प्रीक्लोजर करना चाहता है, पूरा बकाया लोन कैश या चेक (लेकिन उसका कोई हिस्सा नहीं) से प्रीक्लोजर कर सकता है और लोन का बकाया प्रिंसिपल अमाउंट, बकाया इंस्टॉलमेंट, ब्याज, पेनल्टी चार्ज और एग्रीमेंट के तहत बॉरोअर द्वारा कंपनी को दिए जाने वाले बाकी सभी पैसे कंपनी को पूरी तरह से चुका देगा। प्रीक्लोजर इस एग्रीमेंट के शेड्यूल में बताई गई फीस पर होगा या कंपनी द्वारा तय किए गए रेट लागू होंगे।

c) स्टेटमेंट में बताई गई प्रीक्लोजर रकम, अकाउंट स्टेटमेंट में दिखाए गए चेक के मिलने पर और इस बात पर निर्भर करती है कि एग्रीमेंट के तहत सभी पेमेंट भेज दिए गए हैं। ऐसा न होने पर, इसे वापस कर दिया जाएगा और चेक/मेंडेड बाउंस चार्ज, पीनल चार्ज और दूसरे लागू चार्ज के साथ, पहचान होने पर, NOC जारी होने के बाद भी, देना होगा।

19. पीनल चार्ज:

कंपनी के टर्मिनेशन के अधिकारों और इस एग्रीमेंट के तहत मिले किसी भी दूसरे अधिकार पर कोई असर डाले बिना, किश्त/किश्तों या ड्यू डेट/डेट्स पर देय किसी भी दूसरी रकम के पेमेंट में किसी भी देरी की स्थिति में, बॉरोअर्स को ड्यू डेट से लेकर ऐसी किश्त/किश्तों या किसी दूसरी रकम के असल पेमेंट की तारीख तक, कंपनी की संतुष्टि के लिए, डिफॉल्ट रकम पर शेड्यूल में बताई गई दर पर कंपनी को पीनल चार्ज देना होगा।

20. असाइनमेंट और सिक्योरिटाइजेशन:

a) यह एग्रीमेंट बॉरोअर और गारंटर के लिए पर्सनल है। बॉरोअर या गारंटर को कंपनी की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना इस एग्रीमेंट के तहत अपने किसी भी अधिकार, जिम्मेदारी या फ़ायदे को सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से किसी भी व्यक्ति को असाइन या ट्रांसफ़र करने का हक नहीं होगा।

b) कंपनी को इस एग्रीमेंट के तहत अपने किसी भी या सभी अधिकार, फ़ायदे, जिम्मेदारी, ड्यूटी और लायबिलिटी को देने, सिक्योरिटाइज़ करने, बेचने, असाइन करने या ट्रांसफ़र करने का पूरा हक होगा और उसके पास पूरी पावर और अथॉरिटी होगी, जिसमें बॉरोअर/गारंटर को बिना कोई नोटिस दिए किसी भी व्यक्ति या एंटीटी को बिक्री, ट्रांसफ़र, सिक्योरिटाइज़ेशन, चार्ज या सिक्योरिटी या किसी

और तरह से इंस्टॉलमेंट और लोन बैलेंस पाने का हक शामिल है और ऐसी कोई भी बिक्री, असाइनमेंट या ट्रांसफर बॉरोअर/गारंटर को पूरी तरह से बंधुआ बनाएगा और बॉरोअर और गारंटर इस एग्रीमेंट के तहत ऐसे असाइनी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। बॉरोअर साफ तौर पर यह मानता और स्वीकार करता है कि कंपनी को अपने सभी अधिकारों और हितों को, किसी भी तरह से, पूरे या कुछ हिस्से में, बेचने, असाइन करने या ट्रांसफर करने का पूरा हक होगा और उसके पास पूरी शक्ति और अधिकार होगा, और वह भी ऐसे तरीके और शर्तों पर जो कंपनी तय करे। इसमें यह भी शामिल है कि कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह बॉरोअर के खिलाफ खरीदार, असाइनी या ट्रांसफरी की ओर से, कंपनी की पसंद के किसी भी तीसरे पक्ष को, बिना बॉरोअर को बताए या उसे लिखित जानकारी दिए, कार्रवाई करने का अपना अधिकार बनाए रखे।

c) बॉरोअर, कंपनी को, बॉरोअर के जोखिम और लागत पर, बॉरोअर द्वारा दी गई किसी भी बात या जानकारी को वेरिफाई करने और/या बॉरोअर की बकाया/लागू सिक्योरिटी इकट्ठा करने के लिए एक या ज़्यादा लोगों को काम पर रखने के लिए अधिकृत करता है और ऐसे लोगों को ऐसे डॉक्यूमेंट, जानकारी, तथ्य और आंकड़े दे सकता है जो कंपनी को ठीक लगे और इस संबंध में होने वाले खर्च बॉरोअर को उठाने होंगे।²¹. लियन और सेट-ऑफ:

a) बॉरोअर/गारंटर के सभी लोन अकाउंट और लायबिलिटी के मामले में, कंपनी का बॉरोअर/गारंटर की सभी प्रॉपर्टी पर लियन होगा, जो कंपनी के पास हैं/रखी जाएंगी, चाहे सेफ-कीपिंग, कलेक्शन या किसी और काम के लिए और कंपनी के पास अभी या बाद में किसी भी अकाउंट में उसके क्रेडिट में जमा सभी पैसे और कंपनी के पास कंपनी के ड्यूज वसूलने के मकसद से ऐसी सभी सिक्योरिटीज़ और प्रॉपर्टी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

b) कंपनी, अपनी मर्जी से, बॉरोअर/गारंटर के अकाउंट को उस तरीके से कंबाइन या कंसोलिडेट कर सकती है जो उसे मंज़ूर हो, ताकि बॉरोअर/गारंटर द्वारा बताए गए सभी या किसी भी अकाउंट के तहत ड्यू और पे किए जाने वाले अमाउंट की रिकवरी हो सके। कंपनी, कंपनी के किसी भी दूसरे अकाउंट में बॉरोअर/गारंटर की लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, ऐसे किसी भी या ज़्यादा अकाउंट में बॉरोअर/गारंटर के सभी पैसे को अपने क्रेडिट में सेट-ऑफ या ट्रांसफर कर सकती है, चाहे ऐसी लायबिलिटीज़ असली हों या कंटिजेंट/प्राइमरी या कोलैटरल और कई हों या जॉइंट।

c) अगर कंपनी के मांगने पर लोन अकाउंट में बकाया बैलेंस तय समय के अंदर नहीं चुकाया जाता है, तो बॉरोअर/गारंटर के किसी भी अकाउंट में ऐसे क्रेडिट बैलेंस को लोन अकाउंट के तहत ड्यूज में एडजस्ट किया जाएगा। किसी भी कमी के मामले में, कंपनी बॉरोअर/गारंटर से घाटे की रकम वसूल सकती है।

d) कंपनी NOC, फॉर्म-35 और नो ड्यू लेटर जारी करने से भी रोक सकती है, जब तक कि बॉरोअर/गारंटर कंपनी के साथ किए गए किसी दूसरे एग्रीमेंट के तहत लगातार डिफॉल्ट करता रहता है। इसलिए, बॉरोअर/गारंटर इस बात से सहमत हैं और मानते हैं कि वे NOC, फॉर्म-35 और नो ड्यू लेटर

तभी पाने के हकदार होंगे जब बॉरोअर/गारंटर द्वारा किए गए सभी एग्रीमेंट के तहत सभी बकाया ड्यूज़/चार्ज का पूरा और फ़ाइनल सेटलमेंट हो जाएगा।

e) ऊपर बताए गए अधिकार कंपनी को तब भी मिलेंगे, जब बॉरोअर/गारंटर और कंपनी के बीच कोई भी एग्रीमेंट इसके उलट हो और भले ही कंपनी को दी गई कोई खास सिक्योरिटी किसी खास लोन या अकाउंट के लिए तय हो।

f) इन दस्तावेज़ों में दी गई कोई भी बात सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स या गारंटी लेटर्स या उनमें से किसी के तहत या किसी भी कानून के तहत कंपनी के अधिकारों और शक्तियों को सीमित या नुकसान पहुंचाने वाली नहीं मानी जाएगी।

g) बॉरोअर/गारंटर द्वारा कोई सेट-ऑफ़ या काउंटर क्लेम नहीं किया जाएगा और इस एग्रीमेंट के तहत बॉरोअर द्वारा किए गए सभी पेमेंट बिना सेट-ऑफ़ या गारंटी या उनमें से किसी के तहत या किसी भी कानून के तहत किए जाने चाहिए।

22. मुआवज़ा:

बॉरोअर/गारंटर कंपनी को सभी एकशन, केस, प्रोसीडिंग्स और सभी कॉस्ट, चार्ज, इंश्योरेंस प्रीमियम खर्च, नुकसान या डैमेज के लिए मुआवज़ा देगा और देता रहेगा, जो कंपनी को बॉरोअर/गारंटर द्वारा कंपनी को दी गई किसी भी गलत या गुमराह करने वाली जानकारी या बॉरोअर/गारंटर द्वारा किसी भी टर्म्स, कंडीशंस, एग्रीमेंट्स और प्रोविज़न्स के किसी ब्रीच/डिफॉल्ट/कॉन्ट्रावेंशन/नॉन ऑब्ज़र्वेशन/नॉन परफॉर्म की वजह से हुए हों। कंपनी इस क्लॉज़ के तहत बॉरोअर द्वारा पे किए जाने वाले किसी भी अमाउंट को इस एग्रीमेंट के सब्जेक्ट मैटर में शामिल करने की हकदार होगी।

23. नोटिस:

इसके तहत कोई भी नोटिस अगर ऊपर बताए गए बॉरोअर/गारंटर के पते/पत्तों पर पोस्ट/कूरियर/टेलीग्राम/फ़ैक्स ट्रांसमिशन/ई-मेल से भेजा जाता है या ऐसे किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बॉरोअर/गारंटर को सही जानकारी देते हुए भेजा जाता है, तो उसे सही तरीके से दिया गया और सर्व किया हुआ माना जाएगा। और ई-मेल/दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के अलावा ऐसा नोटिस पोस्ट करने की तारीख के बाद दूसरे वर्किंग डे या मिलने की असली तारीख, जो भी पहले हो, से लागू माना जाएगा। अगर नोटिस ई-मेल या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जाता है, तो नोटिस तब सर्व किया हुआ माना जाएगा जब ऐसे नोटिस को पढ़ने की सही रसीद दी जाएगी, या जहां कंपनी भेजने के समय कोई रीड रिसीट नहीं मांगती है।

24. खर्च और लागत:

इस एग्रीमेंट से जुड़े सभी खर्च (वकील की फीस सहित), चार्ज, खर्च, टैक्स, ड्यूटी (स्टाम्प ड्यूटी सहित), इसके तहत बनाए गए किसी भी डॉक्यूमेंट और किसी भी सिक्योरिटी को बनाने, लागू करने, हासिल करने या हासिल करने की कोशिश करने का खर्च बॉरोअर और गारंटर उठाएंगे और चुकाएंगे।

बॉरोअर और गारंटर कंपनी को किश्तें इकट्ठा करने या इकट्ठा करने की कोशिश करने में हुए किसी भी खर्च और कंपनी को मिलने वाली किसी भी दूसरी रकम का पेमेंट करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे, जिसमें कानूनी कार्रवाई और कलेक्शन के लिए रखे गए प्रतिनिधियों का खर्च शामिल है।

बॉरोअर/गारंटर कंपनी से डिमांड नोटिस मिलने की तारीख से 3 दिनों के अंदर कंपनी द्वारा चुकाई गई सभी रकम या किए गए खर्चों को वापस करेगा। इन रकमों पर पेमेंट की तारीख से लेकर वापस मिलने की तारीख तक पेनल्टी चार्ज लगेंगे।

25. छूट:

इस एग्रीमेंट या कंपनी द्वारा दिए गए किसी दूसरे एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट या छूट के तहत कंपनी को मिलने वाले किसी भी अधिकार, पावर या उपाय का इस्तेमाल करने में कोई भी देरी या चूक, ऐसे किसी भी अधिकार, पावर या उपाय को कम नहीं करेगी और इसे उसकी छूट या किसी डिफॉल्ट में कोई मंजूरी नहीं माना जाएगा, न ही किसी डिफॉल्ट के संबंध में कंपनी की कोई कार्रवाई या कोई कार्रवाई न करना या किसी डिफॉल्ट में उसकी कोई मंजूरी, किसी दूसरे डिफॉल्ट के संबंध में कंपनी के किसी भी अधिकार, पावर या उपाय को प्रभावित करेगी या कम करेगी।

26. लागू करने की क्षमता:

अगर इस एग्रीमेंट में बताए गए एक या ज्यादा नियम अमान्य या लागू न करने लायक हैं, तो यह सहमति है कि एग्रीमेंट का बाकी हिस्सा फिर भी लागू करने लायक होगा और कानून द्वारा इजाज़त की गई सीमा तक, पार्टियों का इरादा, जैसा कि ऐसे किसी भी अधिकार या नियम में दिखाया गया है जो अमान्य या लागू न करने लायक है, लागू किया जाएगा।

27. क्रेडिट जानकारी:

a) बॉरोअर/गारंटर इसके लिए सहमत है और कंपनी द्वारा निम्नलिखित सभी या किसी भी जानकारी के खुलासे के लिए सहमति देता है;

i) बॉरोअर/गारंटर से संबंधित जानकारी और डेटा;

ii) बॉरोअर/गारंटर द्वारा ली गई/ली जाने वाली किसी भी क्रेडिट सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा और

iii) बॉरोअर/गारंटर द्वारा अपनी ऐसी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में किया गया कोई भी डिफॉल्ट, जिसे कंपनी RBI द्वारा इस ओर अधिकृत क्रेडिट सूचना कंपनी/कंपनियों और/या एजेंसी/एजेंसियों को बताना और देना उचित और ज़रूरी समझे;

b) बॉरोअर/गारंटर यह वादा करता है कि क्रेडिट सूचना कंपनी/कंपनियां और/या इस प्रकार अधिकृत एजेंसी/एजेंसियां

i) कंपनी द्वारा बताई गई उक्त जानकारी और डेटा का इस्तेमाल, प्रोसेसिंग उस तरीके से कर सकती हैं जिसे वे ठीक समझें; और

ii) उनके द्वारा तैयार की गई प्रोसेस्ड जानकारी और डेटा या उसके प्रोडक्ट्स को, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा इस संबंध में बताए गए अनुसार, बैंकों/फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स और दूसरे क्रेडिट देने वालों या रजिस्टर्ड यूज़र्स को विचार के लिए देना। बॉरोअर/गारंटर आगे इस बात के लिए सहमत है और सहमति देता है कि कंपनी बॉरोअर/गारंटर की सारी या कोई भी जानकारी ग्रुप कंपनियों, सब्सिडियरीज़ या किसी दूसरे व्यक्ति को दे, जिसे कंपनी ठीक समझे।²⁸ अलग-अलग:

a) कंपनी किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस (जिसमें इंटरेस्ट रेट, पेनल्टी चार्ज, प्रीक्लोजर के लिए लागू रेट और इस एग्रीमेंट के तहत लगाए गए कोई भी दूसरे चार्ज शामिल हैं) को आगे से बदलने, अमेंड करने या रिवाइज़ करने का अधिकार रखती है और वह बॉरोअर को टर्म्स एंड कंडीशंस में किसी भी बदलाव के बारे में किसी भी तरह से बता सकती है, जिसे वह सही समझे।

b) बॉरोअर/गारंटर के पते में कोई भी बदलाव होने पर कंपनी को ऐसे बदलाव के 4 दिनों के अंदर लिखकर बताना होगा।

c) यह एग्रीमेंट भारत के कानूनों के हिसाब से चलेगा और समझा जाएगा।

d) अगर दो या उससे ज़्यादा बॉरोअर हैं, तो इस एग्रीमेंट के तहत उनकी लायबिलिटीज़ जॉइंट और अलग-अलग होंगी।

e) सभी कॉरैस्पॉन्डेंस में, बॉरोअर और गारंटर को एग्रीमेंट नंबर बताना होगा। f) इस एग्रीमेंट के तहत कंपनी के सभी उपाय, चाहे वे यहां दिए गए हों या कानून, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, रिवाज, व्यापार या इस्तेमाल से मिले हों, कुल मिलाकर लागू होंगे और वैकल्पिक नहीं होंगे और इन्हें एक के बाद एक या एक साथ लागू किया जा सकता है।

g) इस एग्रीमेंट में, जब तक कि इसके संदर्भ या मतलब के लिए कुछ और ज़रूरी न हो:

i) एकवचन में बहुवचन शामिल है, और इसका उल्टा भी।

ii) पुल्लिंग वाले शब्दों में स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शामिल होंगे।

iii) प्रोनाउन "ही" , "शी" , "इट" , "दियर" वगैरह, मिलते-जुलते रूप एक-दूसरे के बदले जा सकते हैं और उन्हें संदर्भ के हिसाब से समझा जाना चाहिए।

iv) किसी व्यक्ति को बताने वाले शब्दों में एक व्यक्ति, कॉर्पोरेशन, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट या कोई दूसरी एंटीटी शामिल होगी। v) हेडिंग सिर्फ़ रेफरेंस के लिए हैं।

h) अगर बॉरोअर/गारंटर पार्टनरशिप फर्म/कंपनी/HUF हैं, तो इस एग्रीमेंट के जारी रहने के दौरान उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव बॉरोअर/गारंटर की लायबिलिटी को कम या खत्म नहीं करेगा। 29. आर्बिट्रेशन:

(a) इस एग्रीमेंट से होने वाले सभी झगड़े, मतभेद और/या दावे, चाहे इसके रहने के दौरान हों या उसके बाद, आर्बिट्रेशन और सुलह एक्ट, 1996 ("एक्ट") या इसके किसी भी कानूनी बदलाव के नियमों के अनुसार आर्बिट्रेशन से सुलझाए जाएंगे, जिन्हें झगड़े को आर्बिट्रेशन के लिए भेजने से पहले बताया गया हो, और ऐसे झगड़े को शुरू करने वाले द्वारा एक अकेले आर्बिट्रेटर के आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाएगा, जिसे इनमें से कोई एक नॉमिनेट करेगा:

(i) सदरन इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री- सेंटर फॉर ADR, जिसे सदरन इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चलाता है, जिसका अभी रजिस्टर्ड ऑफिस इंडियन चेंबर बिल्डिंग्स, P.B.No.1208, एस्प्लेनेड, चेन्नई - 600108 में है (या)

(ii) काउंसिल फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन (CNICA), जिसे ट्रस्ट फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन चलाता है, जिसका अभी रजिस्टर्ड ऑफिस यूनिट नंबर 412, चौथी मंजिल, अल्फा विंग में है, रहेजा टावर्स, नंबर 113-134, अन्ना सलाई, चेन्नई 600 002

(इसके बाद "आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन" कहा जाएगा)। आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा अकेले आर्बिट्रेटर का नॉमिनेशन, एग्रीमेंट की सभी पार्टियों की आपसी सहमति से किया गया जॉइंट नॉमिनेशन माना जाएगा। ऐसे आर्बिट्रेटर का दिया गया फैसला इस एग्रीमेंट की सभी पार्टियों पर आखिरी और लागू होगा।

(b) आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन नीचे दी गई स्थितियों में नियुक्त आर्बिट्रेटर की जगह एक सबस्टीट्यूट आर्बिट्रेटर नियुक्त करेगा:

(i) नियुक्त आर्बिट्रेटर की मौत; या

(ii) जहां नियुक्त आर्बिट्रेटर किसी भी कारण से आर्बिट्रेटर के तौर पर काम करने में असमर्थ या अनिच्छुक हो।

(c) आर्बिट्रेशन की कार्यवाही की जगह और जगह शेड्यूल में बताई गई होगी। आर्बिट्रेशन की जगह और जगह पर मौजूद कोर्ट के पास इस एग्रीमेंट से या उसके तहत होने वाले सभी झगड़ों, मतभेदों और/या दावों पर सुनवाई करने और उन पर विचार करने का खास अधिकार होगा। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स की भाषा इंग्लिश होगी।

(d) अगर ज़रूरत हो, तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को आसान बनाने के लिए अकेले आर्बिट्रेटर को एडमिनिस्ट्रेटिव मदद आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन दे सकता है।

(e) पार्टियां इसके द्वारा लिखित दलीलों/सबमिशन, फिजिकल और/या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक/वर्चुअल मोड (पोस्ट, ई-मेल और/या वीडियो कॉन्फ्रेंस (VC), ऑनलाइन, वर्चुअल हियरिंग वगैरह सहित इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के किसी दूसरे तरीके से, अगर ज़रूरी हो तो किसी बाहरी एप्लिकेशन या प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके) या इनके कॉम्बिनेशन से आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स करने के

लिए सहमति देती हैं, जैसा कि अकेले आर्बिट्रेटर तय करेगा, जिसका फैसला आखिरी होगा और पार्टियों पर लागू होगा।

(f) अकेला आर्बिट्रेटर, अपने पास किए गए और अपने द्वारा सर्टिफाइड अवॉर्ड/अंतरिम अवॉर्ड/ऑर्डर की एक कॉपी पोस्ट/कूरियर से या ऐसे अवॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिकली/डिजिटलली साइन किए हुए अवॉर्ड की स्कैन की हुई इमेज पार्टियों को ई-मेल या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से खुद या आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन के ज़रिए भेज सकता है, जैसा वह ठीक समझे, जिसे एकट के मकसद के लिए साइन की हुई कॉपी माना जाएगा।(g) एग्रीमेंट के तहत बॉरोअर/गारंटर द्वारा कंपनी को दिया गया पोस्टल/ई-मेल और/या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तरीके का पता या बॉरोअर/गारंटर द्वारा कंपनी के साथ किया गया कोई दूसरा डॉक्यूमेंट, एक्टिव पोस्टल/ई-मेल और/या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तरीके का पता माना जाएगा और ऐसे एक्टिव पोस्टल/ई-मेल और/या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तरीके के पते पर की गई कोई भी सर्विस पूरी मानी जाएगी। ऊपर दिए गए पोस्टल/ई-मेल और/या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तरीके के पते में कोई भी बदलाव या दूसरी गड़बड़ होने पर, कंपनी को तुरंत बताया जाएगा।

30. शिकायत सुलझाने का तरीका:

कंपनी ने RBI की मौजूदा गाइडलाइंस के हिसाब से एक डिटेल्ड शिकायत सुलझाने का तरीका बनाया है। शिकायत सुलझाने का तरीका और कॉन्टैक्ट डिटेल्स <https://www.cholamandalam.com/contact-us/grievance-redressal> पर मौजूद हैं। बॉरोअर अपनी शिकायत/शिकायतों का समाधान बताए गए शिकायत निवारण सिस्टम के तहत करवा सकता है।

31. मंजूरी: बॉरोअर और गारंटर इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं: उन्होंने शेड्यूल/शेड्यूल में दी गई ज़रूरी डिटेल्स सहित पूरा एग्रीमेंट पढ़ लिया है, जो उनकी मौजूदगी में भरा गया है, सभी क्लॉज़/डिटेल्स का पूरा मतलब समझ लिया है और उनसे सहमत हैं। उन्होंने बताई गई सुविधा का फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं। यह एग्रीमेंट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स उन्हें उनकी समझ में आने वाली भाषा में समझाए गए हैं और उन्हें इस लोन की ज़रूरी डिटेल्स भी लोकल भाषा में छपी हुई मिली हैं और वे उससे संतुष्ट हैं। अगर इस एग्रीमेंट के लोकल वर्शन में टर्म/टर्म्स और/या क्लॉज़/टर्म्स का मतलब/मतलब इसके इंग्लिश वर्शन से अलग है, तो इंग्लिश वर्शन में टर्म/टर्म्स और/या क्लॉज़/टर्म्स ही मान्य होंगे।

वे सहमत हैं कि यह एग्रीमेंट उस तारीख को पूरा होगा और कानूनी तौर पर लागू होगा जब कंपनी का ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी इस एग्रीमेंट पर साइन करेगा।

जिसके गवाह के तौर पर, पार्टियों ने शेड्यूल में बताए गए दिन, महीने और साल में इस एग्रीमेंट पर साइन किए। नीचे दिए गए गवाहों की मौजूदगी में:

शेड्यूल

एग्रीमेंट की जगह

एग्रीमेंट की तारीख

एग्रीमेंट नंबर

एप्लिकेशन नंबर

बॉरोअर का नाम और पता

CO-बॉरोअर का नाम और पता

गारंटर का नाम और पता

एसेट की जानकारी और लोन की शर्तें

मेक

मॉडल

लोन अमाउंट

समय (महीनों में)

कस्टमर IRR

पेनल चार्ज% सालाना

सोर्सिंग फीस

एडमिन/प्रोसेसिंग फीस

चेक/मैंडेट बाउंस चार्ज Rs.500/- प्रति बाउंस

चेक/मैंडेट स्वैप चार्ज Rs.1000/- + GST

कलेक्शन एफर्ट चार्ज Rs.200/- + GST हर विज़िट पर डेबिट किया जाएगा

प्रीक्लोजर चार्ज प्रीक्लोजर (a) एग्रीमेंट की तारीख से 7 से 12 महीने तक प्रीक्लोजर के लिए, बकाया प्रिंसिपल पर GST के साथ 5% का प्रीक्लोजर चार्ज लिया जाएगा (b) एग्रीमेंट की तारीख से 12 महीने बाद किसी भी प्री-क्लोजर पर GST के साथ बकाया मूलधन पर 4% का प्री-क्लोजर चार्ज लगेगा।

डॉक्यूमेंट/डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट चार्ज:

अकाउंट का फिजिकल स्टेटमेंट - Rs.250/- + GST

डुप्लीकेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट - Rs.500/- + GST

कानूनी और रेगुलेटरी फीस: स्टाम्प ड्यूटी -

ROC चार्ज - Rs.1400/- या जैसा लागू हो

NESL चार्ज -

रीपेमेंट शेड्यूल

किश्तों की संख्या

पहली किश्त की तारीख

आखिरी किश्त की तारीख

किश्त की रकम और पैटर्न (Rs में)

आर्बिट्रेशन की सीट और जगह

1. पैसे देने में देरी होने या पहले देने या टर्म्स एंड कंडीशंस में किसी और बदलाव की वजह से, इंस्टॉलमेंट शुरू होने की तारीख और/या पहली और बाद की इंस्टॉलमेंट की तारीख/तारीखें बदल सकती हैं, जिसके बारे में बॉरोअर को वेलकम लेटर या किसी और तरीके से बताया जाएगा।

2. मुख्य फैक्ट स्टेटमेंट और उसके एनेक्सर शेड्यूल के साथ अटैचमेंट के तौर पर दिए गए हैं।

लोन को SMA और NPA कैटेगरी में क्लासिफाई करने का आधार:

क्लासिफिकेशन कैटेगरी क्लासिफिकेशन का आधार – प्रिंसिपल या इंटरैस्ट पेमेंट या कोई दूसरी रकम जो पूरी तरह या थोड़ी देर से बकाया हो

SMA-0 30 दिन तक

SMA-1 30 दिन से ज़्यादा और 60 दिन तक

SMA-2 60 दिन से ज़्यादा और 90 दिन तक

NPA 90 दिन से ज़्यादा

SMA या NPA के तौर पर क्लासिफ़ाई करना, संबंधित तारीख के लिए डे-एंड प्रोसेस के हिस्से के तौर पर किया जाता है और SMA या NPA क्लासिफ़िकेशन की तारीख वह कैलेंडर तारीख होगी जिसके लिए कंपनी डे-एंड प्रोसेस चलाती है।

एक बार NPA के तौर पर क्लासिफ़ाई हो जाने वाले लोन अकाउंट को स्टैंडर्ड एसेट के तौर पर तभी अपग्रेड किया जाएगा, जब बॉरोअर प्रिंसिपल, इंटरैस्ट और/या दूसरी रकम का पूरा बकाया चुका देगा ('स्टैंडर्ड एसेट' का मतलब ऐसे लोन अकाउंट से है जिसे SMA या NPA के तौर पर क्लासिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है)। SMA या NPA क्लासिफ़िकेशन बॉरोअर लेवल पर किया जाता है, जिसका मतलब है कि बॉरोअर के सभी लोन अकाउंट को उस लोन के लिए लागू क्लासिफ़ाई किया जाएगा जिसके ओवरड्यू दिन सबसे ज़्यादा हैं।

लोन अकाउंट के SMA या NPA या RBI द्वारा बताई गई किसी दूसरी नई कैटेगरी के क्लासिफ़िकेशन में कोई भी बदलाव कंपनी अपने आप लागू कर देगी और यह बॉरोअर पर भी लागू होगा।

SMA/NPA क्लासिफ़िकेशन का उदाहरण: अगर किसी लोन अकाउंट की ड्यू डेट 31 मार्च, 2024 है, और कंपनी द्वारा इस तारीख के लिए डे-एंड प्रोसेस चलाने से पहले पूरा ड्यू नहीं मिलता है, तो ओवरड्यू की तारीख 31 मार्च, 2024 होगी। अगर लोन अकाउंट ओवरड्यू बना रहता है, तो 30 अप्रैल, 2024 को डे-एंड प्रोसेस चलाने पर यानी लगातार 30 दिन ओवरड्यू रहने पर लोन अकाउंट को SMA-1 के रूप में टैग कर दिया जाएगा। इसके अनुसार, लोन अकाउंट के लिए SMA-1 क्लासिफ़िकेशन की तारीख 30 अप्रैल, 2024 होगी। इसी तरह, अगर लोन अकाउंट ओवरड्यू रहता है, तो 30 मई, 2024 को डे-एंड प्रोसेस चलाने पर इसे SMA-2 के रूप में टैग किया जाएगा और अगर यह आगे भी ओवरड्यू रहता है, तो 29 जून, 2024 को डे-एंड प्रोसेस चलाने पर इसे NPA के रूप में क्लासिफ़ाई किया जाएगा।